



2026:AHC:14559:DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

न्यायालय सं - 3

रिट टैक्स संख्या - 7515 वर्ष 2025

सम्बद्ध

अन्य जुड़े मामले

मैसर्स एस.ए एरोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य ... प्रतिपक्षी

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्री इंद्रजीत शुक्ला

1. श्री ध्रुव अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री उपासना अग्रवाल, श्री वरुण श्रीवास्तव, श्री सलिल अरोड़ा, श्री नलिन तलवार, श्री राजेश कुमार ठाकुर, श्री सुयश अग्रवाल, श्री प्रवीण कुमार, श्री प्रांजल शुक्ला, श्री भरत रायचंदानी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) के साथ-साथ नमित कुमार शर्मा, श्री सुधांशु यादव और श्री ऋषि राज कपूर, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को सुना; श्री एन.सी. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदर्शन सिंह, भारत संघ के अधिवक्ता; इस बैठक में धनंजय अवस्थी, गौरव महाजन, कृष्णा अग्रवाल, अमित महाजन और पर्व अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता निमाई दास, स्थायी अधिवक्ता अरविंद मिश्रा और राज्य की ओर से स्थायी अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल उपस्थित थे।

2. याचिकाओं का वर्तमान समूह केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 और 73 और यूपी माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (सामूहिक रूप से अधिनियमों के रूप में वर्णित) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने के लिए दायर किया गया है। चूंकि ये याचिकाएं आम मुद्दे उठाती हैं, इसलिए इन पर एक साथ सुनवाई की गई है। मोटे तौर पर, इसे प्रचारित किया गया है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



(i) राजस्व प्राधिकारियों के लिए यह खुला नहीं है कि वे विभिन्न कर अवधियों के लिए या विशेष रूप से विभिन्न वित्तीय वर्षों (अल्प वित्तीय वर्ष में) के लिए एक से अधिक नोटिस प्राप्त करने वाले को संयुक्त कारण बताओ नोटिस (संक्षेप में एस.सी.एन) जारी करें;

(ii) कुछ मामलों में ऐसे एस.सी.एन. और न्यायनिर्णयन आदेश अधिनियमों की धारा 6(2)(b) में निहित वैधानिक निषेध का उल्लंघन करते हुए पारित किए गए हैं। ऐसा कभी नहीं किया जा सकता है।

(iii) एक और याचिका में आपत्ति हुई है - कि किसी भी मामले में, दो अलग-अलग प्राधिकरणों/उचित अधिकारियों के लिए कानून में यह अनुमेय हो सकता है कि वे एक एस.सी.एन के लिए अलग-अलग आदेश पारित करें;

(iv) प्रतिपक्षी अधिकारियों (याचिकाकर्ता के सेवा प्राप्तकर्ताओं को) द्वारा याचिकाकर्ताओं को देय सभी भुगतानों को रोकने के निर्देश के लिए एक याचिका में आगे चुनौती दी गई है।

3. अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर अवलंबन किया गया है। यह आग्रह किया गया है कि समान कानूनी संदर्भ से जुड़े तथ्यों के एक ही संकलन में, यानी अधिनियम, कलकत्ता, कर्नाटक, केरल, बॉम्बे, मद्रास और आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालयों द्वारा की गई व्याख्या का पालन किया जा सकता है।

4. दूसरी ओर, राजस्व के अधिवक्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर तर्क देने के लिए अन्य उच्च न्यायालयों के फैसलों के एक अन्य संकलन पर अवलंबन किया है, यह तर्क देने के लिए कि एक समग्र नोटिस जारी किया जा सकता है क्योंकि यह किसी भी पूर्वाग्रह का कारण नहीं बनता है और इसमें कानून का कोई उल्लंघन शामिल नहीं है। जहां तक प्रस्तावित मांगों के आधार और कर और जुर्माने की प्रस्तावित मांगों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, यह नोटिस लेने वाले के पास रहता है कि वह ऐसे नोटिसों का जवाब इस तरह से और इस तरह से दे सकता है जैसा कि सलाह दी जा सकती है।



5. शेष विवादों के रूप में, यह प्रस्तुत किया गया है, उत्तर और अपील का वैधानिक उपाय नोटिसों के लिए उपलब्ध है। इसलिए, याचिकाओं के वर्तमान बैच में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. आगे बढ़ने से पहले, हम इन मामलों में शामिल तथ्यों को सारणीबद्ध रूप में कम कर सकते हैं:

क्रम संख्या	रिट	कर का नाम	कारण बताओ नोटिस	अधिनिर्णय आदेश/सुधार आदेश	धारा के तहत पारित	एफ.वाई.
1.	7515/2025	मैसर्स एसए एरोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और 5 अन्य	30.09.2025 और 04.10.2025	-	74	-
2.	7500/2025	मैसर्स एस.डी. फ्रेशनर्स लिमिटेड इसके निदेशक श्री महेश प्रसाद और एक अन्य बनाम भारत संघ और 5 अन्य के माध्यम से	30.09.2025	-	74	-
3.	1000/2025	मैसर्स मंदाकिनी आवास प्रा लि बनाम भारत संघ और एक अन्य	27.03.2024	26.11.2024	74	2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22
4.	2537/2025	मैसर्स डीबीएल लखनऊ सुल्तानपुर हाईवेज लिमिटेड बनाम भारत संघ और 3 अन्य	-	04.02.2025 और सुधार आदेश दिनांक 11.04.2025	74	2017-18
5.	4965/2025	मैसर्स एनजीटी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और 2 अन्य	28.05.2025	-	74	2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23
6.	1119/2025	मैसर्स मंदाकिनी हेवन हट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और एक अन्य	30.08.2024	28.03.2024	74	2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22
7.	2246/2025	राज ट्रेड लिंक कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ और 2 अन्य	-	01.02.2025	74(1)	2024-25

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8.	2247/2025	राज ट्रेड लिंक कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ और 3 अन्य	-	01.02.2025	74(1)	2024-25
9.	2454/2025	राज ट्रेड लिंक कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ और 3 अन्य	-	23.09.2024	74(1)	2024-25
10.	2456/2025	राज ट्रेड लिंक कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ और 3 अन्य	-	23.09.2024	74(1)	2024-25
11.	2569/2025	गोरखपुर में मैसर्स आरसी ब्रदर्स जंगली भेलमपुर जैनुअलबेड बनाम भारत संघ और एक अन्य	09.11.2023 और 06.12.2023	20.01.2025 और डी.आर.सी.-07 दिनांक 30.01.2025	74	2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21
12.	2795/2025	पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम अपर आयुक्त केंद्रीय जी.एस.टी. और 2 अन्य	-	01.02.2025 और डी.आर.सी.-07 दिनांक 03.02.2025	74	2017-18, 2018-19 और 2019-20
13.	2838/2025	अनुकूल बिंदल बनाम भारत संघ और 2 अन्य	31.03.2023	28.01.2025/3 0.01.2025	122(1) (ii)	2024-25
14.	8725/2025	मैसर्स इंडियन एंटरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य	08.01.2024	29.04.2024 और सुधार आदेश दिनांक 24.10.2024	74	-

7. इसके बाद, रिट टैक्स संख्या 7515 वर्ष 2025 (मेसर्स एसए एरोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य) को जन्म देने वाले तथ्यों को संक्षेप में नोट किया जा सकता है। 07.06.2019 को, केंद्रीय जी.एस.टी. प्राधिकरणों द्वारा उस याचिकाकर्ता मेसर्स एसए एरोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में तलाशी ली गई थी। इसके अलावा, 24.2.2020 को ए.जी.एस.टी. विभाग के अधिकारियों ने उक्त याचिकाकर्ता के परिसरों की तलाशी ली और सुगंधित तंबाकू की एक खेप और बही-खाते जब्त किए। पश्चिम बंगाल जी.एस.टी. अधिनियम, 2017/सी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 67 के तहत 28.2.2020 को एक संक्षिप्त आदेश जारी किया गया था। 11.3.2020 को, उक्त याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उपकर, ब्याज और जुर्माने के साथ सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. की मांग का भुगतान किया, जो 7,91,668/- रुपये था। 24.03.2020 को, उक्त याचिकाकर्ता ने डी.आर.सी.-03 के खिलाफ कर, ब्याज और जुर्माने का भुगतान किया। यह 30.03.2021 को पश्चिम बंगाल जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 74(5) के तहत किए गए इस तरह के स्वैच्छिक भुगतान की पावती जारी की गई थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. इसके बाद, 17.04.2023 को याचिकाकर्ता संख्या-2 के मामले में एक और तलाशी ली गई। फिर भी, 18.04.2023 को याचिकाकर्ता संख्या-1 मेसर्स एसए एरोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक और तलाशी ली गई। याचिकाकर्ता संख्या-2 द्वारा अपनी तलाशी के दौरान दिए गए बयान को बाद में वापस ले लिया गया। किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता संख्या-1 ने फिर से 24.5.2023 को डी.आर.सी.-03 के खिलाफ कर, ब्याज और जुर्माने के लिए 15,53,522/- रुपये का भुगतान किया। 03.08.2023 को, याचिकाकर्ता संख्या-1 के मामले में पश्चिम बंगाल जी.एस.टी. प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा एक और तलाशी ली गई। 11.09.2024 को, पश्चिम बंगाल जी.एस.टी. प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता संख्या-1 के परिसर का फिर से निरीक्षण किया गया। हालाँकि, इस संबंध में 17.03.2025 को एक क्लोजर रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके बाद, कार्यवाही शुरू की गई और बयान दर्ज करने और जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। बाद में, याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 को 30.09.2025 को आक्षेपित एस.सी.एन जारी किया गया था।

9. इन तथ्यों में, याचिकाकर्ता मेसर्स एसए एरोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस आदेश में पहले उल्लेख की गई शिकायत के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही, याचिकाकर्ताओं से जुड़े दो मामलों - मेसर्स एसए एरोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एसडी फ्रेशनर्स लिमिटेड में, एक अतिरिक्त आधार दबाया गया है कि इन रिट याचिकाओं में आरोपित एस.सी.एन अधिनियमों की धारा 6(2)(बी) के उल्लंघन के कारण क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि से ग्रस्त है। इसका विवरण सारणीबद्ध रूप में नीचे दिया गया है:

तारीख	जांच एजेंक	कंपनी का नाम	कर्तन	एस.सी.एन तिथि	आदेश आर तिथि	टैक्स	जुर्माना	इंटर एस्ट	कुल कीमत	पीरियड एस	डी.आर.सी. 03 भरा हुआ	डी.आर.सी.-04 आरईसी डी
24.02.2020	डी.आर.आई. और ई	फ्रेशने आरएस लिमिटेड एसए अरोमती सीएस प्राइवेट लिमिटेड	74(5) 74(5)	नहीं नहीं	24.06.2020 24.06.2020	1661 0154 2506 668	24915 24 37600 0	3609 942 2160 64	2271 162 0 3101 732	अप्रैल 201 9 से मार्च 202 0 अप्रैल 201 9 से मार्च 202 0	25.03.20 21 24.03.20 21	07.02.20 25 22.01.20 25
तारीख	जांच एजेंक	कंपनी का नाम	कर्तन	एस.सी.एन तिथि	आदेश आर तिथि	टैक्स	जुर्माना	इंटर एस्ट	कुल कीमत	पीरियड एस	डी.आर.सी. 03	डी.आर.सी.-04

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



											भरा हुआ	आरईसी डी
02.08.2023	बीआई दक्षिण बंगाल (मुख्यालय)	एस.डी. फ्रेशने आरएस लिमिटेड एस.ए. अरोमती सीएस प्राइवेट लिमिटेड	122 (1)	01.09.2023	20.09.2023	0	38966 70 11040 51	0 0	3896 670 1104 051	अगस्त 2023 से अगस्त 202 3 अगस्त 202 3 से अगस्त 202 3	21.09.2023	कोई ACKN नहीं ACKN
02.08.2023	बीआई दक्षिण बंगाल (मुख्यालय)	एस.डी. फ्रेशने आरएस लिमिटेड	122 (1)	01.09.2023	20.09.2023	0 0	38966 70 11040 51	0 0	3896 670 1104 051	अगस्त 2023 से अगस्त 202 3 अगस्त 202 3 से अगस्त 202 3	21.09.2023	कोई ACKN नहीं ACKN
तारीख	जांच एजेंक	कंपनी का नाम	कर्तन	एस.सी. एन तिथि	आदेश आर तिथि	टैक्स	जुर्माना	इंटर एस्ट	कुल कीमत	पीरियड एस	डी.आर. सी. 03 भरा हुआ	डी.आर. सी.-04 आरईसी डी
11.09.2024	बीआई सोफ बंगाल (एचड ब्ल्यूएच)	एस.ए. अरोमती सीएस प्राइवेट लिमिटेड एसडी फ्रेशने आरएस लिमिटेड	74(5) एसए एरोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ बहुत अधिक प्रासंगिक	नहीं	12.09.2024	1023 400	15351 0	7851 0	1255 420	अप्रैल 202 1 से SEP20 24	12.09.2024 05.03.2025 (ए33, पी457)	17.03.20 25
तारीख	जांच एजेंक	कंपनी का नाम	कर्तन	एस.सी. एन तिथि	आदेश आर तिथि	टैक्स	जुर्माना	इंटर एस्ट	कुल कीमत	पीरियड एस	डी.आर. सी. 03 भरा हुआ	डी.आर. सी.-04 आरईसी डी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



13	बीआई	एस.डी.	74(5)	नहीं	18.06	3376	50651	4052	4288	अप्रैल	24.06	21.07.
.0	दक्षिण	फ्रेशने	74(5)	नहीं	.2025	77	45863	1	49	2024 से	.20	20 25
6.	बंगाल	आरएस			18.06	3057	8	1273	4789	मार्च 202	25	21.07.
2	(एचड	लिमिटेड.ए.			.2025	597		168	403	5 की	24.06	20 25
02	ब्ल्यूएच	अरोमती								तुलना में	.20	20 25
5	)	सीएस								2021-	25	
		प्राइवेट								22,		
		लिमिटेड								2022-		
										23,		
										2023-		
										24,		
										2024-		
										25)		
										अप्रैल		
										2021 से		
										मार्च		
										2024(20		
										21-22,		
										2022-		
										23,		
										2023-		
										24,		
										2024-		
										25)		
ता	जांच	कंपनी का	कर्तन	एस.सी	आदेश	टैक्स	जुर्माना	इंटर	कुल	पीरियड	डी.आर	डी.आर.
री	एजेंक	नाम		.एन	आर			एस्ट	कीमत	एस	.सी.	सी.-04
ख				तिथि	तिथि						03	आरईसी
											भरा	डी
											हुआ	
17	डी.जी.	एस डी	74(1),	30.09	एनए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अगस्त		
.0	जी.आई	फ्रेशनर एस	122	.	एनए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2019 से		
4.	.,	ए ऐरमैटिक	74(1),	2025						SPE		
2	जीएसच	सी एस लि	122	30.09						2023		
02	एजीबाद	लि		.						अगस्त		
3				2025						2019 से		
										SPE		
										2023		

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



"टिप्पणियाँ: यह देखा गया है कि डी.आर.आई. एंड ई, कोलकाता द्वारा 24-02-2020 को की गई तलाशी की अवधि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक थी।

सी.जी.एस.टी. द्वारा दिनांक 11.09.2024 को तलाशी ली गई, जिसमें अप्रैल 2021 से सितंबर 2024 तक की अवधि शामिल की गई थी

तंबाकू के साथ पान मसाला की बिक्री की तुलना के आधार पर सी.जी.एस.टी. द्वारा दिनांक 13.06.2025 को तलाशी ली गई, जिसमें अप्रैल 2021 से मार्च 2025 तक की अवधि शामिल की गई थी।

एस.ए. एरोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और एसडी फ्रेशनर्स लिमिटेड में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक की अवधि को आच्छादित किया गया था, लेकिन यह अप्रैल 2021 से मार्च 2025 तक के लिए प्रभावी था, डी.जी.जी.आई. द्वारा 17.04.2023 की अवधि को आच्छादित किया गया था अक्टूबर 2019 से सितंबर 2023 तक की अवधि को आच्छादित किया गया था।

टिप्पणी:- अतः यह स्पष्ट है कि डीजीजीआई द्वारा आवृत्त अवधि पूर्व में ही डीआरआई एंड ई दिनांक 24-02-2020, एसजीएसटी दिनांक 11-09-2024 तथा एसजीएसटी दिनांक 13-06-2025 के प्रकरणों में आवृत्त की जा चुकी है।

10. आम मुद्दों से जुड़ी इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई है। श्री ध्रुव अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि किसी विषय पर कर लगाने की शक्ति व्यक्त की जानी चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, (2004) 10 एस.सी.सी. 201 पर अवलंबन किया, जिसमें यह निम्नानुसार देखा गया है:

"106. इस न्यायालय के कई घोषणाओं से बहने वाले बाध्यकारी प्राधिकरण की न्यायिक राय ने इन सिद्धांतों को सुलझाया है: (i) एक कर लगाने वाले कानून की व्याख्या में, न्यायसंगत विचार पूरी तरह से जगह से बाहर हैं। कर लगाने वाले कानून की व्याख्या किसी भी अनुमान या धारणा पर नहीं की जा सकती है। एक कर लगाने वाले कानून की व्याख्या स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई बातों के प्रकाश में की जानी चाहिए; इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो व्यक्त नहीं की गई है; यह कानून में प्रावधानों का आयात नहीं कर सकता है ताकि किसी भी कमी की पूर्ति की जा सके; (ii) किसी भी व्यक्ति पर कर लगाने से पहले यह दिखाया जाना चाहिए कि वह धारा में प्रयुक्त



स्पष्ट शब्दों द्वारा चार्जिंग सेक्शन के दायरे में आता है; और (iii) यदि शब्द अस्पष्ट हैं और दो व्याख्याओं के लिए खुले हैं, तो व्याख्या का लाभ विषय को दिया जाता है। करदाता के भागने में कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं है यदि विधायिका द्वारा खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में विफलता के कारण कानून का पत्र उसे पकड़ने में विफल रहता है।

107. कर लगाने की शक्ति कोई आकस्मिक शक्ति नहीं है। सीरवर्ड के अनुसार, हालांकि विधायी शक्ति में सभी आकस्मिक और सहायक शक्तियां शामिल हैं, लेकिन कर लगाने की शक्ति हमारे संविधान के तहत ऐसी शक्ति नहीं है। यही कारण है कि यह माना गया था कि अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के संबंध में कानून बनाने की शक्ति (प्रविष्टि 42 सूची I अनुसूची 7) के साथ सूची I में प्रविष्टि 92-A को शामिल करने से पहले अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य में माल की बिक्री पर कर लगाने की शक्ति नहीं थी और ऐसी शक्ति सूची II में प्रविष्टि 54 के तहत राज्यों की थी। सूची I में प्रविष्टि 97 ने इस तर्क के खिलाफ भी विरोध किया कि कर लगाने की शक्ति हमारे संविधान के तहत एक आकस्मिक शक्ति है। (महत्व सन्निविष्ट)

11. दूसरा, उन्होंने इस सिद्धांत का आह्वान किया है - जहां एक निश्चित काम को एक निश्चित तरीके से करने की शक्ति प्रदान की जाती है, वह काम उस तरह से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। इस प्रकार, उन्होंने धनंजय रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य, (2001) 4 एस.सी.सी. 9; सीआईटी, मुंबई बनाम अंजुम एमएच घसवाला और अन्य, (2002) 1 एस.सी.सी. 633; (2004) 2 एस.सी.सी. 463 मेहसाणा जिला केंद्रीय सहकारी बनाम गुजरात राज्य और अन्य पर अवलंबन किया है।

12. तीसरा, धारा 73 की भाषा का उल्लेख करते हुए और अधिनियमों की धारा 74 के साथ इसकी तुलना करते हुए, विशेष रूप से धारा 73/74(1), 73/74(2) और 73/74(10) से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, इस बात पर जोर दिया गया है - किसी भी न्यायनिर्णयन आदेश को अंतिम रूप देने की सीमा निश्चित/कठोर है। यह किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के संदर्भ में या धनवापसी की तारीख के संदर्भ में (वैकल्पिक रूप से) निर्धारित किया गया है। धनवापसी के मामलों के अलावा, सीमा की अवधि स्पष्ट रूप से एक वित्तीय वर्ष और/या कर अवधि के लिए संदर्भित है जिसके लिए रिटर्न दाखिल किया जाना है।



13. सीमा की वह अवधि कठोर और निश्चित होने के कारण, धारा 73/74(1) के तहत नोटिस जारी करने की सीमा तीन महीने (धारा 73 के तहत आने वाले मामलों में) और छह महीने (धारा 74 कार्यवाही के मामले में) समाप्त हो जाती है, आदेश को फ्रेम करने के लिए सीमा के अंत से पहले। जिस हद तक एस.सी.एन दिनांक 30.09.2025 को याचिकाकर्ता संख्या 2 को रिट टैक्स संख्या 7515 वर्ष 2025 में 8.10.2025 को प्राप्त हुआ है, धारा 74(3) सपठित धारा 74(10) के तहत निर्धारित न्यूनतम समय सीमा की समाप्ति के बाद, स्पष्ट रूप से वे कार्यवाही समयबद्ध हैं। रिलायंस को दौजी अभूषण भंडार प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के फैसले पर रखा गया है। यह याचिका आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही से उत्पन्न हुई थी। वर्तमान में, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या-2 को नोटिस 08.10.2025 को ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने से पहले किसी भी समय जारी नहीं किया गया था।

14. अपनी दलील को विस्तार से बताते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता ने **कोटा बनाम सीआईटी (2017) 1 एस.सी.सी. 554, गुजरात राज्य बनाम आर्सेलर मित्तल निप्पाँन स्टील (इंडिया) लिमिटेड, (2022) 6 एस.सी.सी. 459** प्रस्तुत करने के लिए महाराव भीम सिंह पर अवलंबन किया है - प्रत्येक वित्तीय वर्ष मूल्यांकन की एक स्वतंत्र इकाई है। इसलिए, अधिनियमों की धारा 73/74 के तहत जारी किए जाने वाले सभी एस.सी.एन केवल एक या दूसरे वित्त वर्ष या कर अवधि के संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं, लेकिन एक से अधिक वित्त वर्ष के लिए नहीं। इस प्रकार, वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए, हालांकि एक उचित अधिकारी के लिए एक वित्त वर्ष के तहत आने वाली एक से अधिक कर अवधि के लिए नोटिस को एस.सी.एन जारी करने की अनुमति हो सकती है, एक संयुक्त नोटिस कभी भी एक से अधिक कर अवधि के लिए जारी नहीं किया जा सकता है, जो दो अलग-अलग वित्तीय वर्ष में आता है।

15. इसके अलावा, वह प्रस्तुत करेगा, जहां कहीं भी विधायिका जारी किए जाने वाले ऐसे समग्र नोटिस प्रदान करने का इरादा रखती है, उसने ब्लॉक मूल्यांकन कार्यवाही के लिए आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय XIV - बी के तहत अधिनियमित किए गए विशिष्ट प्रावधानों को लागू करके उसी के लिए प्रावधान किया है। उन प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने हमें 'ब्लॉक अवधि' (अधिनियम के तहत) की परिभाषा और इसके प्रभाव के बारे में बताया है - जो मूल्यांकन



प्राधिकरण को मूल्यांकन की एक से अधिक इकाइयों यानी मूल्यांकन वर्ष में अघोषित आय का आकलन करने में सक्षम बनाता है। अधिनियमों के तहत मौजूद किसी भी समानांतर प्रावधान के अभाव में, अधिनियमों के तहत न्यायनिर्णयन कार्यवाही के दौरान मूल कानून का प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है।

16. इसी तरह, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 158-बीडी का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है, जहां कहीं भी विधायिका किसी व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए प्रदान करने का इरादा रखती है, दूसरे के खिलाफ पाए गए तथ्यों के आधार पर, उसने एक विशिष्ट प्रावधान के माध्यम से इसके लिए प्रावधान किया है। अधिनियमों के तहत मौजूद समान प्रावधानों के अभाव में, राजस्व प्राधिकरणों, यानी अधिनियमों के तहत उचित अधिकारियों के पास एकाधिक/एक से अधिक नोटिस देने वाले को समग्र नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है।

17. चौथा, प्रशासनिक आपात स्थिति या सुविधा के विचारों पर आपत्ति जताते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता ने **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, (2014) 4 एस.सी.सी. 720** पर अवलंबन किया है, यह प्रस्तुत करने के लिए कि प्रशासनिक अराजकता की रक्षा को एक कार्यवाही का बचाव करने के लिए एक अच्छे आधार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है जिसमें अधिकार क्षेत्र का अभाव है। इसी आशय के लिए, **बी. प्रभाकर राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, 1985 (एसयूपीपी) एस.सी.सी. 432** पर अवलंबन किया गया है।

18. उपरोक्त प्रस्तुतियों को **मैसर्स प्रमूर होम्स एंड शैल्टर्स बनाम भारत संघ और अन्य, 2025: केएचसी:52750** में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्वीकृति का वर्णन किया गया है। उक्त उच्च न्यायालय ने यह तर्क दिया कि मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत करने की अनिवार्यता एवं उसके लिए निर्धारित समय-सीमा के कारण, न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों हेतु पृथक-पृथक कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करने की आवश्यकता 'कर अवधि' अथवा 'वित्तीय वर्ष' के संदर्भ में विचारणीय रह सकती है। कर निर्धारण एवं कर भुगतान से संबंधित उस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जो कर अवधि तथा उससे उत्पन्न समय-सीमाओं से संबद्ध है, यह भी अभिमत व्यक्त किया गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय **एम/एस माथुर पॉलिमर्स बनाम भारत संघ, 2025:डीएचसी:7435-डीबी**, विधि की दृष्टि से उत्तम विधि नहीं माना जा सकता। यह



तथ्य कि उससे उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, अपने आप में कोई बाध्यकारी नज़ीरगत प्रभाव उत्पन्न नहीं करता।

19. मैसर्स मिलरोक गुड अर्थ डेवलपर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2025)36 सेंटैक्स, 97 (बीओएम) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भी रिलायंस को रखा गया है, जिसमें अंबिका ट्रेडर्स बनाम एडिशनल कमिशनर, (2025) 33 सेंटैक्स 189 में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया गया है।

20. इसके अलावा, बॉम्बे उच्च न्यायालय (गोवा खंडपीठ) ने टाइटन कंपनी लिमिटेड बनाम संयुक्त आयुक्त, (2024) 15 सेंटैक्स 118 (मैड) में मद्रास और केरल उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुपात को लागू किया है; आरए एंड कंपनी बनाम केंद्रीय करों के अतिरिक्त आयुक्त, चेन्नई दक्षिण, (2025) 33 सेंटैक्स 14(पागल) और थारायिल मेडिकल बनाम उपायुक्त, सी.जी.एस.टी. विभाग, (2025) 29 सेंटैक्स 395 (केर)। इसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम कैलटेक्स (इंडिया) लिमिटेड, ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 1350 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत पर भी ध्यान दिया है, जिसमें यह नीचे देखा गया था:

"जहां एक मूल्यांकन में अलग-अलग मूल्यांकन वर्ष शामिल होते हैं, प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष को आसानी से विभाजित और विच्छेदित किया जा सकता है और वस्तुओं को अलग-अलग अवधि के लिए अलग और कर लगाया जा सकता है। उक्त कानून को इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक निर्धारण वर्ष की सीमा की एक अलग अवधि होगी और सीमा स्वतंत्र रूप से शुरू होगी और यही कारण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रत्येक निर्धारण वर्ष को आसानी से विभाजित और विच्छेदित किया जा सकता है और मदों को अलग-अलग अवधि के लिए अलग और कर लगाया जा सकता है। उक्त सिद्धांत प्रस्तुत मामले पर भी लागू होगा।

21. पांचवां, अधिनियमों की धारा 6(2)(बी) की प्रयोज्यता पर, यह प्रस्तुत किया गया है, कि मुद्दा अब पूर्णांक नहीं है। सीधे, जीके ट्रेडिंग कंपनी बनाम भारत संघ और अन्य, 2020 एस.सी.सी. ऑनलाइन इला 1907 के मामले में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने अधिनियमों की धारा 6(2)(बी) के उल्लंघन में शुरू की गई कई कार्यवाही के खिलाफ स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया था। इस न्यायालय के उस निर्णय पर विचार किया गया है और यही सिद्धांत हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्मर सिक्योरिटी (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयुक्त, सी.जी.एस.टी., दिल्ली पूर्व

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आयुक्तालय और अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1700 में लागू किया गया है। चार्ट (उनके द्वारा अवलंबन किया गया) यानी ऊपर निकाली गई दूसरी तालिका का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है, वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर, अन्य सभी 'कर अवधियों' के लिए अन्य सभी कार्यवाही अधिनियमों की धारा 74(5) के तहत आच्छादित की गई हैं। इस हद तक, अधिनियमों की धारा 6(2)(बी) के आधार पर आक्षेपित कारण बताओ नोटिस पर रोक रहेगी।

22. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है, मैसर्स माथुर पॉलिमर्स (उपरोक्त) और अंबिका ट्रेडर्स (उपरोक्त) में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अंतिम रूप से प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि इसे मजबूत प्रेरक मूल्य प्रदान कर सकता है। बाद के एक मामले में - **मैसर्स अपर्णा कलेक्शन बनाम भारत संघ और अन्य डब्ल्यूपी (सी) संख्या 890/2025**, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका का निम्नलिखित अवलोकन के साथ निपटारा किया गया:

"याचिकाकर्ता मद्रास उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसलों को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाने के लिए स्वतंत्र होगा और इस पर विचार किया जा सकता है और उच्च न्यायालय द्वारा अपने गुण-दोष के आधार पर इसका निपटारा किया जा सकता है। इस प्रकार, यह मुद्दा फिर से दिल्ली उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर रहा है। मैसर्स अपर्णा कलेक्शन (उपरोक्त) की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया गया है।"

23. कुछ याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री सुयश अग्रवाल ने सबसे पहले श्री ध्रुव अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को स्वीकार किया है। उन्होंने बताया है कि रिट टैक्स संख्या 2247 वर्ष 2025 और 2454 वर्ष 2025 में चुनौती दी गई निर्णय कार्यवाही अधिनियमों की धारा 6(2)(b) में निहित सिद्धांत पर वर्जित है।

24. रिट टैक्स संख्या 2246 सन् 2025, 2247 सन् 2025, 2454 सन् 2025 तथा 2456 सन् 2025 में श्री सुयश अग्रवाल द्वारा एक अतिरिक्त आधार भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह निवेदन किया गया है कि मेरठ स्थित प्राधिकारी द्वारा जारी एक ही कारण बताओ सूचना-पत्र के विरुद्ध दो न्यायनिर्णयन आदेश पारित किए गए हैं – एक मेरठ प्राधिकारी द्वारा तथा दूसरा लखनऊ प्राधिकारी द्वारा। ऐसी कार्यवाहियाँ स्वभावतः दोषपूर्ण हैं तथा विधि की दृष्टि में



स्थिर नहीं रह सकती। इस प्रकार चुनौती दी गई उक्त कार्यवाहियों का विवरण निम्नवत् संक्षेपित किया जाता है :

क्रम संख्या	रिट टैक्स	नाम	कारण बताओ नोटिस	अधिनिर्णय आदेश/सुधार आदेश	धारा के तहत पारित	एफ.वाई.
1.	2246/2025	राज ट्रेड लिंक कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ और 2 अन्य	30.04.2022	01.02.2025	74(1)	2024-25
2.	2247/2025	राज ट्रेड लिंक कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ और 3 अन्य	30.04.2022	01.02.2025	74(1)	2024-25
3.	2454/2025	राज ट्रेड लिंक कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ और 3 अन्य	30.04.2022	23.09.2024	74(1)	2024-25
4.	2456/2025	राज ट्रेड लिंक कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ और 3 अन्य	30.04.2022	23.09.2024	74(1)	2024-25

25. इसके अलावा, उन्होंने अधिनियमों के तहत पंजीकृत व्यक्तियों और पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं व्यक्तियों की देनदारियों का भी उल्लेख किया है। पंजीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के संदर्भ में, उन्होंने उन व्यक्तियों पर लगाए गए अनुपालन दायित्व का उल्लेख किया है - मासिक और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए। उन्होंने अधिनियमों की धारा 74(3) के प्रावधानों का उल्लेख किया है और उक्त धारा की उप-धारा 4 में दिखाई देने वाले 'किसी भी अवधि' और वाक्यांश 'ऐसी कर अवधि के लिए' शब्दों पर अवलंबन किया है। वह प्रस्तुत करेगा- धोखाधड़ी या जानबूझकर दमन आदि के आरोपों को प्रत्येक 'कर अवधि' के संदर्भ में अलग से दर्ज किया जाना चाहिए। अलग-अलग कर अवधियों से संबंधित उन क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्यों का एक ही कारण बताओ नोटिस में कोई सर्वव्यापी पुनरावृत्ति नहीं हो सकता है, जो अलग-अलग वित्तीय वर्ष में फैले हुए हैं। अपने प्रस्तुति को विस्तार से बताते हुए, वह प्रस्तुत करेंगे, 'अवधि' शब्द को अधिनियमों के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि 'कर अवधि' वाक्यांश को अधिनियमों की धारा 2(108) के तहत परिभाषित किया गया है। इसका मतलब है और यह केवल एक 'अवधि' को संदर्भित करता है जिसके लिए अधिनियमों के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



26. इसके बाद, वह प्रस्तुत करेगा, अधिनियमों की धारा 73 के तहत, अधिनिर्णय की कार्यवाही खोज, जांच या लेखा परीक्षा से पहले होती है। अधिनियमों की धारा 61(3) के तहत, रिटर्न को संसाधित किया जा सकता है। केवल अगर महीने के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है, जिसमें निर्णय भी शामिल है। इसके अलावा, अधिनियमों की धारा 74(10) के आधार पर, विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित समय के भीतर एक न्यायनिर्णयन आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है। चूंकि रिटर्न केवल 'कर अवधि' के संबंध में प्रस्तुत किया जा सकता है, स्वाभाविक रूप से अधिनियमों की धारा 74 के तहत, ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होनी चाहिए और एक एस.सी.एन के खिलाफ एक 'कर अवधि' तक सीमित होनी चाहिए, जो वित्त वर्ष से अधिक नहीं है।

27. फिर, अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों के नियम 142 का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि डी.आर.सी.-07 स्वयं एक से अधिक वित्त वर्ष के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए न्यायनिर्णयन की कार्यवाही भी एक बार में एक वित्त वर्ष के लिए शुरू की जा सकती है, संचालित की जा सकती है और शामिल की जा सकती है।

28. रिट टैक्स संख्या 2247 वर्ष 2025 में उठाई गई चुनौती के संबंध में, अधिनियमों की धारा 6(2)(बी) के आधार पर एक अतिरिक्त आधार दबाया गया है। यह बताया गया है कि 18.01.2021 को एक एस.सी.एन जारी किया गया था और यू.पी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 122 के तहत 08.12.2021 को आदेश पारित किया गया था। बाद में, सी.जी.एस.टी. अधिकारियों द्वारा 30.04.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यह अधिनियमों की धारा 6(2)(b) में निहित सिद्धांत पर स्पष्ट रूप से वर्जित है।

29. इसके बाद, रिट टैक्स संख्या 4965 वर्ष 2025 में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार ने भी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को स्वीकार किया है। उन्होंने अतिरिक्त आधार पर जोर दिया है कि कोई न्यायिक कार्यवाही उत्पन्न नहीं हो सकती है क्योंकि प्राप्तकर्ता ने उच्च मूल्य का खुलासा किया है और इस कारण से केवल कम भुगतान का आरोप लगाया गया है।

30. रिट टैक्स संख्या 1000 वर्ष 2025 और 1119 वर्ष 2025 में उपस्थित अधिवक्ता श्री प्रांजल शुक्ला ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव अग्रवाल द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को स्वीकार किया है।



31. अंत में, याचिकाकर्ताओं के लिए अन्य वकीलों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को अपनाने के अलावा, रिट टैक्स संख्या 2537 वर्ष 2025 में उपस्थित अधिवक्ता श्री भरत रायचंदानी प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तुत मामले में, निर्धारिती को वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए एक समग्र नोटिस जारी किया गया था। अधिनियमों के प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख करते हुए, वह इस बात पर जोर देंगे कि मूल्यांकन एक वित्त वर्ष या उसके हिस्से के लिए किया जा सकता है, लेकिन कभी भी एक से अधिक वित्त वर्ष के लिए नहीं। उन्होंने हमें पंजीकरण के प्रावधानों के माध्यम से ले लिया है; धारा 31 कर चालान जारी करने का प्रावधान; धारा 36 लेखा पुस्तकों के प्रतिधारण की अवधि से संबंधित; बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित धारा 37; वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से संबंधित धारा 39; धारा 49 कर, ब्याज दंड और अन्य राशियों के भुगतान से संबंधित है; स्व-मूल्यांकन से संबंधित धारा 59, अनंतिम मूल्यांकन से संबंधित धारा 60, रिटर्न न भरने वालों के मूल्यांकन से संबंधित धारा 62, अपंजीकृत व्यक्तियों के मूल्यांकन से संबंधित धारा 63 सहित मूल्यांकन से संबंधित अधिनियमों के अध्याय XII के अंतर्गत आने वाले प्रावधान। नियम 101 के साथ पढ़े जाने वाले लेखापरीक्षा प्रावधानों से संबंधित अधिनियमों की धारा 35 का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि लेखा परीक्षा एक वित्त वर्ष या उसके एक हिस्से या उसके गुणकों के लिए की जा सकती है। इस प्रकार, जहां कहीं भी विधायिका ने एक वित्त वर्ष से परे 'कर अवधि' को शामिल करने के लिए एकल कार्यवाही की अनुमति दी है, उसने विशेष रूप से "उसके गुणक" अभिव्यक्ति का उपयोग करके इसके लिए प्रावधान किया है। इस हद तक कि अधिनियमों की धारा 73 या धारा 74 के सादे पढ़ने पर कोई विधायी इरादा मौजूद नहीं हो सकता है, उन कार्यवाहियों को एक एस.सी.एन के माध्यम से एक वित्त वर्ष से अधिक नहीं की 'अवधि' तक सीमित रहना चाहिए।

32. अधिनियमों के तहत लाई गई एमनेस्टी योजनाओं का भी संदर्भ दिया गया है, जिन्हें एक वित्त वर्ष एक मूल्यांकन इकाई होने के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया था और लागू किया गया था। अधिनियमों के तहत एक ही कार्यवाही में कई 'कर अवधियों' को शामिल करने की अवधारणा अधिनियमों की मूल योजना से अलग है। यहां तक कि अधिनियमों के अंतर्गत केवल वित्तीय वर्ष के आधार पर अपराध और शमन उपाय भी प्रदान किए गए हैं।

33. उपरोक्त प्रस्तुतियों को पूरा करते हुए, राजस्व के अधिवक्ता श्री धनंजय अवस्थी ने सबसे पहले बताया है कि अधिनियमों की धारा 74 के प्रावधान केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944



की धारा 11ए के प्रावधानों के अनुरूप हैं। अंबिका ट्रेडर्स (उपरोक्त) में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए, वह प्रस्तुत करेंगे, कई 'कर अवधियों' के लिए एक ही एस.सी.एन जारी करने के लिए कानून में कोई रोक नहीं है। उन्होंने अधिनियमों की धारा 74(10) के वास्तविक आयात पर बहुत भरोसा किया है, प्रस्तुत करने के लिए - यह केवल एक समय सीमा प्रावधान है, लेकिन एस.सी.एन के तहत शुरू की गई कार्यवाही के दायरे को सीमित करने का प्रावधान नहीं है। उक्त प्रावधान केवल न्यायनिर्णयन कार्यवाही को समाप्त करने की अंतिम तिथि प्रदान करता है। उस उद्देश्य के लिए, विधायिका ने कर अवधि के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि के संदर्भ में बाहरी समय सीमा निर्धारित करना उचित समझा, जिसके लिए निर्णय नोटिस जारी किया जा सकता है। यह एस.सी.एन. के दायरे को सीमित या परिभाषित नहीं करता है। बल्कि, यह ऐसी कार्यवाही के लिए समय के अंतिम बिंदु को परिभाषित करता है। दर्जन भर पर भरोसा करते हुए, श्री अवस्थी ने हमारे समक्ष अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों को रखा है, जिनमें से कुछ जिनमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है, वहां दायर अपील की विशेष अनुमति पर मैसर्स माथुर पॉलिमर्स (उपरोक्त), जिसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 50279 वर्ष 2025 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 07.11.2025 को खारिज कर दिया गया था और उन्होंने आरके इस्पात लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अन्य फैसले, दिनांक 30.9.2025; केरल उच्च न्यायालय एक्सएल इंडीरियर्स बनाम डिप्टी कमिशनर (खुफिया), (2024) 25 सेंटैक्स 416 (केर), ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ में कलकत्ता उच्च न्यायालय, (2024) 25 सेंटैक्स 430 (कैल: दिल्ली फॉयल्स बनाम एडिशनल कमिशनर, (2025) 31 सेंटैक्स 253 (डेल) में दिल्ली उच्च न्यायालय; रिओकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में बॉम्बे उच्च न्यायालय बनाम सहायक आयुक्त, सी.जी.एस.टी. और सीएक्स, (2025) 95 जी.एस.टी.एल 39 (बॉम्बे) पर भी अवलंबन किया गया है।

34. सी.बी.आई.सी. द्वारा दिनांक 15.09.2025 को जारी एक परिपत्र पर भरोसा करते हुए, इस बात पर जोर दिया गया है कि सी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अखिल भारतीय आवेदन को देखते हुए, राजस्व के पक्ष में की गई एक एकल व्याख्या लागू की जा रही है।

35. फिर संगीता सिंह बनाम भारत संघ (यू.ओ.आई.) और अन्य, (2005) 7 एस.सी.सी. 484 पर भरोसा करते हुए, इस बात पर जोर दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा भरोसा



किए गए अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णय, जिस हद तक वे इसके लिए स्थापित पूर्व-शर्तों के बिना कैसस ओमिसस की आपूर्ति करना चाहते हैं, सही कानून निर्धारित नहीं करते हैं।

36. इसके बाद, पाम ग्रोव्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम मगर गिरमे और गायकवाड़ एसोसिएट्स एंड अन्य, (2025) आई.एन.एस.सी. 1023 और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे, (2002) 4 एस.सी.सी. 297 पर अवलंबन किया गया है।

37. राजस्व पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव महाजन ने कुछ अन्यवादों में सर्वप्रथम श्री धनंजय अवस्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को अंगीकृत किया। द्वितीयतः, उन्होंने यह निवेदन किया कि जीएसटी विधियाँ विशिष्ट प्रकृति की हैं। वे केवल करारोपण अथवा कर अधिरोपण के प्रयोजन हेतु ही नहीं, अपितु विवादों के न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से भी लेन-देन आधारित हैं। जहाँ तक सही कर राशि के अधिरोपण अथवा वसूली से संबंधित विवाद उत्पन्न होने का प्रश्न है, ऐसे विवादों का निस्तारण समुचित न्यायनिर्णयन कार्यवाही के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें समान प्रकार के लेन-देन, उसी करदाता अथवा समान श्रेणी के करदाताओं से संबंधित हों। ऐसे विवादों के समाधान हेतु न्यायनिर्णयन कार्यवाहियाँ, विवाद के पक्षकारों अर्थात् करदाताओं द्वारा प्रस्तुत नियमित विवरणियों से उत्पन्न व्यक्तिगत वित्तीय वर्षों की अंतिम सीमाओं को मान्यता नहीं देती। यदि जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में ऐसे अन्य विवाद भी सम्मिलित हों, जिनके संबंध में क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य स्थापित न किए गए हों, तो वह प्रश्न उपयुक्त तथ्यों के आधार पर पृथक चुनौती हेतु खुला रह सकता है।

38. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि एक सामान्य कारण बताओ नोटिस जारी करके याचिकाकर्ताओं को कोई पूर्वाग्रह नहीं किया जा सकता है।

39. श्री एन.सी. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सुदर्शन सिंह, संघ के अधिवक्ता की सहायता से, श्री धनंजय अवस्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को भी स्वीकार किया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि धारा 2(106) केवल 'कर अवधि' के उद्देश्य से प्रासंगिक है जिसके लिए रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। धारा 73(3) का उल्लेख करते हुए, वह प्रस्तुत करेगा कि यह उचित अधिकारी को उस अवधि से अधिक समय के लिए कर की मांग करने की अनुमति देता है जिसके लिए प्रारंभिक एस.सी.एन जारी किया गया हो सकता है। साथ ही, इस बात पर भी जोर दिया गया है कि धारा 73(10) केवल एक समय सीमा प्रावधान है।



40. जवाब में, याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव अग्रवाल ने भी स्पष्ट करने के लिए अधिनियमों की धारा 74A का उल्लेख किया है - वित्त वर्ष 2024-25 से धारा 73 और 74 की योजना का विलय हो गया है, लेकिन पूर्व अवधि के लिए नहीं। कैलटेक्स (इंडिया) लिमिटेड (उपरोक्त) का उल्लेख करते हुए, वह प्रस्तुत करेंगे कि उक्त निर्णय कानून में स्थिति को स्पष्ट करता है कि एक निर्धारण वर्ष के लिए मूल्यांकन का आदेश पारित किया जा सकता है, लेकिन अधिक नहीं।

41. इससे पहले कि हम अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सटीक प्रस्तुतियों पर चर्चा करें, दोनों तरफ, अधिनियमों के कुछ प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है। 'निर्णायक प्राधिकरण', 'मूल्यांकन', 'उचित अधिकारी', 'तिमाही', 'रिटर्न' और 'कर अवधि' (दूसरों के बीच) शब्दों को अधिनियमों की धारा 2(4), 2(11), (91), (92), (97) और (106) के तहत परिभाषित किया गया है। वे नीचे के रूप में हैं:

'धारा 2. - परिभाषाएँ:-

(4) "न्यायनिर्णयन प्राधिकारी" से कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश या निर्णय पारित करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत है, लेकिन इसमें [केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड], पुनरीक्षण प्राधिकरण, अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण, अग्रिम विनिर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकारी, [अग्रिम निर्णय के लिए राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण] [अपीलीय प्राधिकारी, अपीलीय अधिकरण और धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण] शामिल नहीं हैं।

(11). "मूल्यांकन" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत कर देयता का निर्धारण और इसमें स्वमूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, अनंतिम मूल्यांकन, सारांश मूल्यांकन और सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन शामिल हैं;

(91) इस अधिनियम के अधीन किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में "उचित अधिकारी" का अर्थ है आयुक्त या केन्द्रीय कर का अधिकारी जिसे बोर्ड में आयुक्त द्वारा वह कार्य सौंपा गया है;



(92) "तिमाही" का अर्थ एक अवधि होगी जिसमें लगातार तीन कैलेंडर महीने शामिल हैं, जो एक कैलेंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होते हैं;

(97) "वापसी" का अर्थ है इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा या उसके तहत प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्धारित या अन्यथा आवश्यक कोई विवरणी;

(106) "कर अवधि" का अर्थ है वह अवधि जिसके लिए रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है; (महत्व सन्निविष्ट)

42. फिर, लेवी प्रावधान अधिनियमों की धारा 9 में निहित है। इन प्रावधानों में मानव उपभोग के लिए अल्कोहल वाली शराब और मानव उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त शराब या रेक्टिफाइड स्पिरिट को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं की सभी अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आपूर्ति पर कर का प्रावधान है।

43. अधिनियमों की धारा 37 के तहत बाहरी आपूर्ति के लिए विवरण प्रस्तुत करना निर्धारित है। हमारी चर्चा के लिए प्रासंगिक, अधिनियमों की धारा 37(1) नीचे दी गई है:

"धारा 37. बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना।

(1) प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, एक इनपुट सेवा वितरक के अलावा, एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक रूप से [ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन और] इस तरह के रूप में और तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है, महीने के दसवें दिन या उससे पहले कर अवधि के दौरान वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करेगा उक्त कर अवधि के बाद और इस तरह के विवरण [ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है, उक्त आपूर्ति के प्राप्तकर्ता को सूचित किया जाएगा]: (महत्व सन्निविष्ट)

44. फिर, मासिक और अन्य रिटर्न प्रस्तुत करने का प्रावधान अधिनियमों की धारा 39 में निहित है। हमारी चर्चा के लिए प्रासंगिक, अधिनियमों की धारा 39(1) और (2) के प्रावधान नीचे दिए गए हैं:



"धारा - 39.-रिटर्न प्रस्तुत करना।

(1) प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, एक इनपुट सेवा वितरक या एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा, प्रत्येक कैलेंडर महीने या उसके हिस्से के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक आपूर्ति का रिटर्न प्रस्तुत करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जाता है, देय कर, भुगतान किया गया कर और इस तरह के अन्य विवरण, इस तरह के रूप और तरीके से, [ऐसे समय के भीतर, और ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन], जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:

परन्तु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, पंजीकृत व्यक्तियों के कुछ वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी जो प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, जो यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का भुगतान करने वाला एक पंजीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कारोबार की, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आवक आपूर्ति, कर देय, कर का भुगतान और ऐसे अन्य विवरण इस तरह के रूप में और ऐसे समय में, और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। (महत्व सन्निविष्ट)

45. इसके बाद, वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने का प्रावधान जैसा कि आज मौजूद है, नीचे दिया गया है:

"धारा 44. वार्षिक रिटर्न। -

(1) प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, एक इनपुट सेवा वितरक के अलावा, धारा 51 या धारा 52 के तहत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति, एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति एक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा जिसमें एक स्व-प्रमाणित सुलह विवरण शामिल हो सकता है, जो वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत रिटर्न में घोषित आपूर्ति के मूल्य का मिलान करता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेखापरीक्षित



वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ, ऐसे समय के भीतर और ऐसे रूप में और इस तरह के तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, पंजीकृत व्यक्तियों के किसी भी वर्ग को इस धारा के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट दे सकता है:

परन्तु आगे कि इस धारा में अन्तर्निहित कोई बात केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी पर लागू नहीं होगी, जिसकी लेखा-बही-खाते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। (महत्व सन्निविष्ट)

46. फिर, अधिनियमों के अध्याय XII के तहत मूल्यांकन प्रदान किए जाते हैं। उसमें, धारा 59, 60(1) और (3), 61(1), 62(1), 63 और 64(1), जिस हद तक वे हमारी चर्चा के लिए प्रासंगिक हैं, नीचे दिए गए हैं:

"59- स्व-मूल्यांकन

प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के तहत देय करों का स्व-मूल्यांकन करेगा और धारा 39 के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक कर अवधि के लिए एक रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

60. अनंतिम मूल्यांकन-

(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कर योग्य व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ है या उस पर लागू कर की दर निर्धारित करने में असमर्थ है, वह अनंतिम आधार पर कर के भुगतान के लिए कारण बताते हुए लिखित रूप में उचित अधिकारी से अनुरोध कर सकेगा और उचित अधिकारी एक आदेश पारित करेगा, इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर की अवधि के भीतर, ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, अनंतिम आधार पर कर के भुगतान की अनुमति देता है

....



(3) उचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश के संप्रेषण की तारीख से छह महीने से अनधिक की अवधि के भीतर, मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए अपेक्षित ऐसी जानकारी को ध्यान में रखते हुए अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित करेगा:

परन्तु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि, पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर और लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा छह महीने से अधिक की अवधि के लिए और आयुक्त द्वारा ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो चार वर्ष से अनधिक नहीं है।

61. रिटर्न की जांच-

(1) समुचित अधिकारी विवरणी की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विवरणों की संवीक्षा कर सकेगा और उसे ऐसी विसंगतियों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित कर सकेगा और उसके स्पष्टीकरण की मांग कर सकेगा।

"62. रिटर्न दाखिल न करने वालों का आकलन-

(1) धारा 73 या धारा 74 [या धारा 74क] में निहित विपरीत किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई पंजीकृत व्यक्ति धारा 39 या धारा 45 के तहत विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, यहां तक कि धारा 46 के तहत नोटिस की तामील के बाद भी, उचित अधिकारी अपने निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने के लिए आगे बढ़ सकता है, जिसमें सभी प्रासंगिक सामग्री जो उपलब्ध है या जो उसके पास है धारा 44 के तहत निर्दिष्ट तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर एक मूल्यांकन आदेश एकत्र करना और जारी करना या वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना जिससे कर का भुगतान नहीं किया गया है।

63. अपंजीकृत व्यक्तियों का आकलन

धारा 73 या धारा 74 [या धारा 74A] में निहित विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, जहां एक कर योग्य व्यक्ति पंजीकरण प्राप्त करने में विफल रहता है, भले ही ऐसा करने के लिए उत्तरदायी हो या जिसका पंजीकरण धारा 29 की उप-धारा (2) के तहत रद्द कर दिया गया हो, लेकिन जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, उचित अधिकारी



प्रासंगिक कर अवधि और जारी करने के लिए अपने सर्वोत्तम निर्णय के लिए ऐसे कर योग्य व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने के लिए आगे बढ़ सकता है धारा 44 के तहत निर्दिष्ट तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर एक मूल्यांकन आदेश, वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए, जिससे कर का भुगतान नहीं किया गया है:

बशर्ते कि व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा कोई मूल्यांकन आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

64. कुछ विशेष मामलों में सारांश मूल्यांकन -

(1) उचित अधिकारी, किसी व्यक्ति की कर देयता को दर्शाने वाले किसी भी साक्ष्य पर, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुमति से, राजस्व के हितों की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने के लिए आगे बढ़ सकता है और एक मूल्यांकन आदेश जारी कर सकता है, यदि उसके पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है कि ऐसा करने में कोई विलंब राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है:

बशर्ते कि जहां कर योग्य व्यक्ति जिसके लिए देयता संबंधित है, पता लगाने योग्य नहीं है और ऐसी देयता माल की आपूर्ति से संबंधित है, ऐसे माल के प्रभारी व्यक्ति को कर योग्य व्यक्ति माना जाएगा और इस धारा के तहत कर और किसी अन्य राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। (महत्व सन्निविष्ट)

47. चूंकि अग्रिम प्रस्तुतियों के दौरान लेखापरीक्षा प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है, इसलिए हम अधिनियमों की धारा 65(1) और 66(1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 101 के प्रावधानों पर ध्यान दे सकते हैं। वे नीचे के रूप में पढ़ते हैं:

"धारा 65 कर अधिकारियों द्वारा ऑडिट-

(1) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी सामान्य या विशिष्ट आदेश के द्वारा, ऐसी अवधि के लिए, ऐसी बार-बार और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, लेखापरीक्षा कर सकेगा।

66. विशेष लेखा परीक्षा-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(1) यदि उसके समक्ष संवीक्षा, जांच, जांच या किसी अन्य कार्यवाही के किसी चरण में, कोई अधिकारी जो सहायक आयुक्त के पद से नीचे नहीं है, मामले की प्रकृति और जटिलता और राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि मूल्य सही ढंग से घोषित नहीं किया गया है या प्राप्त ऋण सामान्य सीमा के भीतर नहीं है, वह, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को लिखित रूप में एक संचार द्वारा निर्देश दे सकता है कि वह अपने अभिलेखों की जांच और लेखा परीक्षा कराने के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट या एक लागत लेखाकार द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि आयुक्त द्वारा नामित किया जा सकता है।

सी.जी.एस.टी. नियम 2017 का नियम 101

101. लेखा परीक्षा-

(1) धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन की जाने वाली लेखापरीक्षा की अवधि एक वित्तीय वर्ष [या उसका भाग] या उसके गुणकों होगी।

(2) जहां धारा 65 के उपबंधों के अनुसार किसी पंजीकृत व्यक्ति की लेखा परीक्षा करने का निर्णय लिया जाता है, वहां समुचित अधिकारी उक्त धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार प्रपत्र जी.एस.टी. एडीटी-01 में एक सूचना जारी करेगा।

(3) पंजीकृत व्यक्ति के अभिलेखों और लेखा-बही-खातों की लेखा-परीक्षा करने के लिए प्राधिकृत समुचित अधिकारी, अपने साथ आने वाले अधिकारियों और अधिकारियों के दल की सहायता से, उन दस्तावेजों का सत्यापन करेगा जिनके आधार पर लेखा-बहियों का रख-रखाव किया जाता है और अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत विवरणियों और विवरणों का सत्यापन करेगा। टर्नओवर की शुद्धता, छूट और कटौतियों का दावा किया गया, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में लागू कर की दर, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया और उपयोग किया गया, रिफंड का दावा किया गया, और अन्य प्रासंगिक मुद्दे और टिप्पणियों को अपने ऑडिट नोट्स में अभिलेखों करें।

(4) समुचित अधिकारी लेखापरीक्षा में यथा देखी गई विसंगतियों, यदि कोई हो, के बारे में पंजीकृत व्यक्ति को सूचित कर सकेगा और उक्त व्यक्ति अपना उत्तर दाखिल कर



सकेगा और समुचित अधिकारी प्रस्तुत उत्तर पर विधिवत विचार करने के बाद लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को अंतिम रूप देगा।

(5) लेखापरीक्षा के समापन पर, समुचित अधिकारी प्रपत्र जी.एस.टी. एडीटी-02 में धारा 65 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की सूचना देगा। (महत्व सन्निविष्ट)

48. उस पृष्ठभूमि में, अब हम अधिनियमों की धारा 73, 74 और 74A के प्रावधानों को नोटिस कर सकते हैं। वे नीचे के रूप में हैं:

"73. कर का निर्धारण [वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित,] भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया या गलती से वापस किया गया या इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी या किसी भी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों के दमन के अलावा किसी अन्य कारण से गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किया गया।

(1) जहां यह उचित अधिकारी को प्रतीत होता है कि किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है, या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से प्राप्त किया गया है या किसी भी कारण से उपयोग किया गया है, धोखाधड़ी के कारण या किसी भी जानबूझकर गलत बयान या कर से बचने के लिए तथ्यों के दमन के अलावा, वह कर के साथ प्रभार्य व्यक्ति पर नोटिस देगा जो इस तरह से भुगतान नहीं किया गया है या जो इतना कम भुगतान किया गया है या जिसे गलती से रिफंड किया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया है या उसका उपयोग किया है, उसे कारण बताओ कि उसे 'धारा 50' के तहत देय ब्याज और इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत लगाए जाने वाले दंड के साथ नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए।

(2) उचित अधिकारी आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम तीन महीने पहले उप-धारा (1) के तहत नोटिस जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के तहत किसी भी अवधि के लिए एक नोटिस जारी किया गया है, तो उचित अधिकारी कर के साथ प्रभार्य व्यक्ति पर कर का भुगतान नहीं किया



गया या कम भुगतान या गलती से वापस किया गया या गलत तरीके से लाभ उठाया या ऐसी अवधि के लिए उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण शामिल कर सकता है।

(4) ऐसे विवरण की सेवा को उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर नोटिस की तामील के रूप में समझा जाएगा, इस शर्त के अधीन कि उपधारा (1) के अधीन आने वाले के अलावा ऐसी कर अवधियों के लिए जिन आधारों पर अवलंबन किया गया है, वे वही हैं जो पहले की सूचना में उल्लिखित हैं।

(5) कर के साथ प्रभार्य व्यक्ति, उपधारा (1) के तहत नोटिस की तामील से पहले या, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (3) के तहत विवरण, धारा 50 के तहत देय ब्याज के साथ कर की राशि का भुगतान ऐसे कर या कर के अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर कर की राशि का भुगतान कर सकता है या कर के रूप में उचित अधिकारी द्वारा पता लगाया गया है और इस तरह के भुगतान के लिखित रूप में उचित अधिकारी को सूचित कर सकता है।

(6) समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं देगा या, यथास्थिति, उपधारा (3) के अधीन कथन, इस प्रकार भुगतान किए गए कर या इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय किसी दंड के संबंध में।

(7) जहां उचित अधिकारी की यह राय है कि उपधारा (5) के अधीन भुगतान की गई राशि वास्तव में देय राशि से कम हो जाती है, तो वह ऐसी राशि के संबंध में उपधारा (1) में उपबंधित सूचना जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा जो वास्तव में देय राशि से कम है।

(8) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कर प्रभार्य कोई व्यक्ति कारण बताओ नोटिस जारी होने के तीस दिनों के भीतर धारा 50 के अधीन देय ब्याज सहित उक्त कर का भुगतान करता है, वहां कोई जुर्माना देय नहीं होगा और उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को समाप्त समझा जाएगा।



(9) उचित अधिकारी, कर के साथ प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, कर, ब्याज और दस प्रतिशत के समतुल्य दंड की राशि निर्धारित करेगा। ऐसे व्यक्ति से देय कर या दस हजार रुपये, जो भी अधिक हो, और आदेश जारी करें।

(10) उचित अधिकारी उप-धारा (9) के तहत उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन साल के भीतर आदेश जारी करेगा, जिसके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किया गया है, या गलत वापसी की तारीख से तीन साल के भीतर या उसके भीतर आदेश जारी करेगा।

(11) उप-धारा (6) या उप-धारा (8) में निहित किसी भी बात के होते हुए, उप-धारा (9) के तहत जुर्माना देय होगा जहां स्व-निर्धारित कर की कोई राशि या कर के रूप में एकत्र की गई किसी भी राशि का भुगतान ऐसे कर के भुगतान की नियत तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया गया है।

(12) इस धारा के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण के लिए लागू होंगे।

74. कर का निर्धारण [वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित,] भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया या गलती से वापस किया गया या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लाभ उठाया गया या धोखाधड़ी या किसी भी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के कारण उपयोग किया गया।

(1) जहां यह उचित अधिकारी को प्रतीत होता है कि किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लाभ उठाया गया है या धोखाधड़ी के कारण उपयोग किया गया है, या कर से बचने के लिए किसी भी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाया गया है, तो वह उस व्यक्ति को नोटिस देगा जो कर के साथ प्रभार्य है जो इस तरह से भुगतान नहीं किया गया है या जो इतना कम भुगतान किया गया है या जिसके लिए वापसी है गलती से किया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट टैक्स



क्रेडिट का लाभ उठाया है या उसका उपयोग किया है, उसे कारण बताओ कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए, साथ ही उस पर 'धारा 50' के तहत देय ब्याज और नोटिस में निर्दिष्ट कर के बराबर जुर्माना क्यों नहीं देना चाहिए।

(2) समुचित अधिकारी आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम छह माह पहले उप-धारा (1) के अधीन सूचना जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के तहत किसी भी अवधि के लिए एक नोटिस जारी किया गया है, तो उचित अधिकारी कर के साथ प्रभार्य व्यक्ति पर कर का भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान या गलती से वापस किया गया या गलत तरीके से लाभ उठाया या ऐसी अवधि के लिए उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण शामिल कर सकता है।

(4) उपधारा (3) के अधीन कथन की सेवा को धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील माना जाएगा, इस शर्त के अधीन कि उक्त कथन में जिन आधारों पर अवलंबन किया गया है, सिवाय धोखाधड़ी के आधार को, या कर से बचने के लिए किसी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों का दमन करने के लिए, उपधारा (1) के अधीन आच्छादित किए गए अवधियों के अलावा अन्य अवधियों के लिए वही हैं जो पहले की सूचना में उल्लिखित हैं।

(5) कर के साथ प्रभार्य व्यक्ति, उप-धारा (1) के तहत नोटिस की तामील से पहले, धारा 50 के तहत देय ब्याज और पंद्रह प्रतिशत के बराबर दंड के साथ कर की राशि का भुगतान कर सकता है। इस तरह के कर या कर के अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर इस तरह के कर या कर के रूप में उचित अधिकारी द्वारा पता लगाया गया है और इस तरह के भुगतान के बारे में लिखित रूप में उचित अधिकारी को सूचित करें।

(6) समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, इस प्रकार भुगतान किए गए कर या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय किसी दंड के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं देगा।



(7) जहां उचित अधिकारी की यह राय है कि उपधारा (5) के अधीन भुगतान की गई राशि वास्तव में देय राशि से कम हो जाती है, तो वह ऐसी राशि के संबंध में उपधारा (1) में उपबंधित सूचना जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा जो वास्तव में देय राशि से कम है।

(8) जहां उपधारा (1) के तहत कर के साथ प्रभार्य कोई व्यक्ति 'धारा 50' के तहत देय ब्याज और पच्चीस प्रतिशत के बराबर जुर्माना के साथ उक्त कर का भुगतान करता है। नोटिस जारी होने के तीस दिनों के भीतर इस तरह के कर में, उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।

(9) उचित अधिकारी, कर के साथ प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और दंड की राशि निर्धारित करेगा और एक आदेश जारी करेगा।

(10) उचित अधिकारी उप-धारा (9) के तहत उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर आदेश जारी करेगा, जिसके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया है या गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किया गया है, या गलत वापसी की तारीख से पांच साल के भीतर या उसके भीतर आदेश जारी करेगा।

(11) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (9) के तहत जारी किए गए आदेश के साथ सेवा करता है, 'धारा 50' के तहत उस पर देय ब्याज और पचास प्रतिशत के बराबर जुर्माना के साथ कर का भुगतान करता है। आदेश के संचार के तीस दिनों के भीतर इस तरह के कर में, उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।

(12) इस धारा के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण के लिए लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1.-धारा 73 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(i) अभिव्यक्ति "उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियों" में 'धारा 132;

(ii) जहां एक ही कार्यवाही के तहत नोटिस कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को जारी किया जाता है, और मुख्य व्यक्ति



के खिलाफ ऐसी कार्यवाही 'धारा 73' या 'धारा 74' के तहत समाप्त हो गई है, [धारा 122 और 125] के तहत दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही समाप्त मानी जाती है।

74ए- वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित किसी भी कारण से भुगतान नहीं किए गए या कम भुगतान किए गए या गलती से रिफंड किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट टैक्स क्रेडिट का निर्धारण या गलत तरीके से लाभ उठाया गया या उपयोग किया गया।

(1) जहां यह उचित अधिकारी को प्रतीत होता है कि किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है, या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वह उस कर के साथ प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस देगा जो इस तरह से भुगतान नहीं किया गया है या जो इतना कम भुगतान किया गया है या जिसे गलती से वापसी की गई है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया है या उसका उपयोग किया है, जिससे उसे कारण बताने की आवश्यकता है कि उसे धारा 50 के तहत देय ब्याज और इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत लगाए जाने वाले दंड के साथ नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए:

बशर्ते कि कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, यदि कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है या एक वित्तीय वर्ष में उपयोग किया गया है, तो वह एक हजार रुपये से कम है।

(2) उचित अधिकारी उप-धारा (1) के तहत वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से बयालीस महीने के भीतर नोटिस जारी करेगा, जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किया गया है, जो गलत वापसी की तारीख से या बयालीस महीने से संबंधित है।



(3) जहां उपधारा (1) के तहत किसी भी अवधि के लिए एक नोटिस जारी किया गया है, तो उचित अधिकारी कर के साथ प्रभार्य व्यक्ति पर कर का भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान या गलती से वापस किया गया या गलत तरीके से लाभ उठाया या ऐसी अवधि के लिए उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण शामिल कर सकता है।

(4) ऐसे विवरण की सेवा को उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर नोटिस की तामील के रूप में समझा जाएगा, इस शर्त के अधीन कि उपधारा (1) के अधीन आने वाले के अलावा ऐसी कर अवधियों के लिए जिन आधारों पर अवलंबन किया गया है, वे वही हैं जो पहले की सूचना में उल्लिखित हैं।

(5) उस मामले में जुर्माना जहां कोई कर जिसका भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है, या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किया गया है,

(i) किसी भी कारण से, धोखाधड़ी के कारण या किसी भी जानबूझकर गलत बयान या कर चोरी करने के लिए तथ्यों के दमन के अलावा, दस प्रतिशत के बराबर होगा। ऐसे व्यक्ति से देय कर या दस हजार रुपये, जो भी अधिक हो;

(ii) धोखाधड़ी या किसी भी जानबूझकर गलत बयान या कर से बचने के लिए तथ्यों को छिपाने के कारण ऐसे व्यक्ति से देय कर के बराबर होगा।

(6) उचित अधिकारी, कर के साथ प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और दंड की राशि निर्धारित करेगा और एक आदेश जारी करेगा।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (6) के अधीन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सूचना जारी करने की तारीख से बारह माह के भीतर आदेश जारी करेगा:

परन्तु जहां समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने में समर्थ नहीं है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो उचित अधिकारी के रैंक में वरिष्ठ है, लेकिन केन्द्रीय कर के संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे नहीं है, उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को ध्यान में रखते हुए,



निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, उक्त अवधि को अधिकतम छह महीने तक बढ़ाया जाना चाहिए।

(8) कर के साथ प्रभार्य व्यक्ति जहां किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है, या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से प्राप्त किया गया है या किसी भी कारण से उपयोग किया गया है, धोखाधड़ी के कारण या किसी भी जानबूझकर-गलत बयान या कर से बचने के लिए तथ्यों के दमन के अलावा, कर सकता है,

(i) उप-धारा (1) के तहत नोटिस तामील करने से पहले, इस तरह के कर की धारा 50 के तहत देय ब्याज के साथ कर की राशि का भुगतान इस तरह के कर या कर के अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर उचित अधिकारी या कर के रूप में उचित अधिकारी द्वारा पता लगाया गया है के रूप में इस तरह के भुगतान के बारे में सूचित करें, और उचित अधिकारी, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उपधारा (1) या उपधारा (3) के तहत दिए गए बयान के तहत कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत देय किसी भी दंड के संबंध में;

(ii) कारण बताओ नोटिस जारी होने के साठ दिनों के भीतर धारा 50 के अधीन देय ब्याज सहित उक्त कर का भुगतान करना और ऐसा करने पर कोई जुर्माना देय नहीं होगा और उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को समाप्त माना जाएगा।

(9) कर के साथ प्रभार्य व्यक्ति, जहां किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लाभ उठाया गया है या धोखाधड़ी के कारण उपयोग किया गया है, या कर से बचने के लिए किसी भी जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाया गया है,

(i) उपधारा (1) के तहत नोटिस तामील करने से पहले, धारा 50 के तहत देय ब्याज और पंद्रह प्रतिशत के बराबर जुर्माने के साथ कर की राशि का भुगतान करें। इस तरह के कर या कर के अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर इस तरह के कर या कर के



रूप में उचित अधिकारी द्वारा पता लगाया गया है के रूप में इस तरह के भुगतान के बारे में सूचित करें, और उचित अधिकारी, ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर, उप-धारा (1) के तहत कोई नोटिस नहीं देगा, इस तरह से भुगतान किए गए कर या इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत देय किसी भी दंड के संबंध में;

(ii) धारा 50 के तहत देय ब्याज और पच्चीस प्रतिशत के बराबर जुर्माने के साथ उक्त कर का भुगतान करना। नोटिस जारी होने के साठ दिनों के भीतर ऐसे कर की की, और ऐसा करने पर, उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी;

(iii) धारा 50 के अधीन उस पर देय ब्याज के साथ कर का भुगतान करना और पचास प्रतिशत के समतुल्य जुर्माना। आदेश के संचार के साठ दिनों के भीतर इस तरह के कर का, और ऐसा करने पर, उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।

(10) जहां उचित अधिकारी की राय है कि उपधारा (8) के खंड (i) या उपधारा (9) के खंड (i) के तहत भुगतान की गई राशि वास्तव में देय राशि से कम हो जाती है, तो वह ऐसी राशि के संबंध में उप-धारा (1) में प्रदान किए गए नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा जो वास्तव में देय राशि से कम है।

(11) उपधारा (8) के खंड (i) या खंड (ii) में निहित कुछ भी होते हुए, उपधारा (5) के खंड (i) के तहत जुर्माना देय होगा जहां स्व-मूल्यांकन कर की कोई राशि या कर के रूप में एकत्र की गई किसी भी राशि का भुगतान ऐसे कर के भुगतान की नियत तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया गया है।

(12) इस धारा के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित कर के निर्धारण के लिए लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1. इस खंड के प्रयोजनों के लिए,

(i) उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों की अभिव्यक्ति में धारा 132 के तहत कार्यवाही शामिल नहीं होगी;



(ii) जहां समान कार्यवाहियों के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाता है, और मुख्य व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कार्यवाही इस धारा के तहत समाप्त हो गई है, धारा 122 और 125 के तहत जुर्माना का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही समाप्त मानी जाती है।

स्पष्टीकरण 2. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति दमन का अर्थ होगा तथ्यों या सूचना की गैर-घोषणा जो एक कर योग्य व्यक्ति को इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रस्तुत विवरण, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करना आवश्यक है, या उचित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में मांगी जा रही कोई जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता। (महत्व सन्निविष्ट)

49. सुलभ संदर्भ के लिए, अधिनियमों की धारा 75(4) और 75(10) नीचे दी गई है:

"75. करदाता के निर्धारण से संबंधित सामान्य प्रावधान।

(1)...

(2)...

(3)...

(4) सुनवाई का अवसर तब दिया जाएगा जब कर या जुर्माने के प्रभार्य व्यक्ति से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होता है, या जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रतिकूल निर्णय पर विचार किया जाता है।

(1)...

(2)...

(3)...

(4)...

(5)...

(6)...

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(7)...

(8)...

(9)...

(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को समाप्त माना जाएगा, यदि आदेश धारा 73 की उपधारा (10) में या धारा 74 की उपधारा (10) में या धारा 74क की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है।

50. याचिकाओं के इस समूह में उठाए गए मूल प्रश्न पर न्यायिक मत विभिन्न उच्च न्यायालयों के मध्य विभाजित है। इस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा अभी तक कोई दृष्टिकोण व्यक्त नहीं किया गया है। एक ओर, दिल्ली उच्च न्यायालय के *मैसर्स मथुर पॉलिमर्स* (उपर्युक्त), *अम्बिका ट्रेडर्स* (उपर्युक्त) तथा *दिल्ली फॉयल्स* (उपर्युक्त) के निर्णय हैं; साथ ही जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का *आर.के. इस्पात लिमिटेड* (उपर्युक्त) में निर्णय; केरल उच्च न्यायालय का *एक्स.एल. इंडीरियर्स* (उपर्युक्त) में निर्णय; कलकत्ता उच्च न्यायालय का *ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड* (उपर्युक्त) में निर्णय; तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय का *रायोकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड* (उपर्युक्त) में निर्णय भी हैं। इन निर्णयों पर राजस्व विभाग की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है। दूसरी ओर, कर्नाटक उच्च न्यायालय का *मैसर्स प्रमूर होम्स एण्ड शैल्टर्स* (उपर्युक्त) में निर्णय; बॉम्बे उच्च न्यायालय का *मैसर्स मिलराँक गुड अर्थ डेवलपर्स* (उपर्युक्त) में निर्णय; मद्रास उच्च न्यायालय के *टाइटन कम्पनी लिमिटेड* (उपर्युक्त) तथा *आर.ए. एण्ड कम्पनी* (उपर्युक्त) में निर्णय; और केरल उच्च न्यायालय का *थरायिल मेडिकल्स* (उपर्युक्त) में निर्णय उपलब्ध हैं।

51. यद्यपि बाध्यकारी कानून निर्धारित करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का कोई सीधा निर्णय नहीं है, साथ ही, यह एक तथ्य है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा रही एक रिट याचिका पर मैसर्स अपर्णा कलेक्शन (उपरोक्त) में मैसर्स माथुर पॉलिमर्स (उपरोक्त) और अंबिका ट्रेडर्स (उपरोक्त) के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति खारिज कर दी गई थी, इस मामले की दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता है। यह कार्यवाही लंबित है।

52. हम उन विचारों और प्रति-विचारों से लाभान्वित होते हैं जिन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष अनुभव किए गए कानूनी प्रवचन को समृद्ध किया है और उनके निर्णय जो हमें इस मुद्दे



पर उस प्रवचन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं - क्या अधिनियमों की धारा 73/74 के तहत एस.सी.एन नोटिस जारी किया जा सकता है, जिसमें एक से अधिक कर अवधि शामिल है, जो एक वित्त वर्ष से अधिक है और/या एक से अधिक नोटिस शामिल है। मुख्य रूप से, राजस्व के पक्ष में की गई व्याख्या अधिनियमों की धारा 73 और 74 की भाषा से निकली है। राजस्व के पक्ष में उच्च न्यायालयों के निर्णयों से यह तर्क मिलता है कि उन प्रावधानों में प्रयुक्त 'अवधि' शब्द को संकीर्ण रूप से पढ़ने का कोई वारंट नहीं है - इसमें एक ही कर अवधि और किसी भी मामले में केवल एक वित्त वर्ष में आने वाली कर अवधि को शामिल करने के लिए। ऐसा करते समय, अधिनियमों के अन्य उपबंधों को भी पढ़ना होगा।

53. दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय यह तर्क देते हैं कि अधिनियमों की भाषा के लिए सख्त निर्माण की पेशकश की जानी चाहिए। इसके अलावा, कर न्यायशास्त्र के लिए यह मौलिक है कि मूल्यांकन की इकाई निर्धारण या वित्त वर्ष है। इसके अलावा, पूछताछ, मूल्यांकन और निर्णय रिटर्न दाखिल करने पर आधारित हैं, इसलिए, निर्णय प्रक्रिया भी केवल मूल्यांकन की उस इकाई यानी निर्धारण वर्ष या वित्त वर्ष के लिए संदर्भित होनी चाहिए।

54. सम्मान के साथ, हम किसी भी दृष्टिकोण की सदस्यता लेने में असमर्थ हैं। निस्संदेह, अधिनियम कर विधानों में नए/नवीनतम जोड़ हैं। वे अस्तित्व में आए और 101वें संविधान संशोधन और इसके परिणामस्वरूप विधायी क्षमता के संचार से कानून का बल प्राप्त किया। इस सीमा तक, अधिनियम पहले से मौजूद बिक्री कर या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या राज्य उत्पाद शुल्क या सेवा कर या प्रवेश कर कानूनों को जारी रखने की पेशकश नहीं करते हैं। अधिनियम पहले से मौजूद कानूनों की निरंतरता नहीं है। बल्कि, वे पूरी तरह से नए विधान हैं जो लेवी, कर निर्धारण के साथ-साथ कम भुगतान किए गए या कम लगाए गए कर आदि के निर्धारण के लिए एक तंत्र के साथ-साथ एक नई लेवी का प्रावधान करते हैं।

55. इसलिए, धारा 73 और 74 की सटीक भाषा की जांच करने से पहले, हमें अधिनियमों की सामान्य योजना को देखना अनिवार्य प्रतीत होता है। इस प्रयोजन के लिए, हमने अधिनियमों के उपबंधों को विस्तार से निकाला है। परिभाषा खंड के तहत, अधिनियमों की धारा 2 'निर्णायक प्राधिकरण' को एक ऐसे प्राधिकरण के रूप में परिभाषित किया गया है जो अधिनियमों के तहत एक आदेश या निर्णय ले सकता है। स्पष्ट रूप से, निर्णयन प्राधिकारी, अन्य बातों के अलावा, अधिनियमों की धारा 73 और 74 के तहत उत्पन्न होने वाली कार्यवाही के संबंध में कार्य कर



सकता है। अधिनियमों की धारा 2(91) के तहत 'उचित अधिकारी' वाक्यांश को भी परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है एक अधिकारी, जिसे अधिनियमों के तहत किसी भी कार्य को करने के लिए सौंपा जा सकता है। फिर, अन्य बातों के अलावा, यह अधिनियमों की धारा 73 और 74 के तहत कार्यवाही के लिए भी संदर्भित है। इस प्रकार, उचित अधिकारी अधिनियमों की धारा 73 या 74 के तहत निर्णायक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है।

56. फिर, हर कैलेंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिनों में समाप्त होने वाले लगातार तीन कैलेंडर महीनों की अवधि के रूप में 'तिमाही' शब्द को परिभाषित करने वाले प्रावधान हैं। अधिनियमों की धारा 2(97) के तहत परिभाषित 'रिटर्न' शब्द का अर्थ है एक रिटर्न जिसे नियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा, 'कर अवधि' शब्द का अर्थ है वह अवधि जिसके लिए रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। मूल प्रावधानों के साथ पढ़ें, वे मूल्यांकन की एक इकाई के रूप में वित्त वर्ष की अवधारणा बनाते हैं।

57. रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए, अधिनियमों की धारा 37 के तहत दायित्व बनाए गए हैं, (आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनुपालन किया जाना है); धारा 39 के तहत, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति पर, प्रत्येक कैलेंडर माह या उसके भाग के लिए और धारा 44 के तहत, वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए। उस दायित्व को और बढ़ाया जा सकता है - प्रत्येक 'तिमाही' के लिए रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता के लिए भी। इसलिए, मूल्यांकन की प्रत्येक इकाई के लिए रिटर्न दाखिल करने का दायित्व स्पष्ट रूप से एक कैलेंडर महीने और वित्त वर्ष से जुड़ा हुआ है, जैसा कि राजकोषीय व्यवस्था के दायरे में समझा जाता है। यह एक चौथाई तक भी बढ़ सकता है। उस हद तक इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि, कानून द्वारा बनाया गया दायित्व केवल स्व-मूल्यांकन के आधार पर रिटर्न दाखिल करने और कर के भुगतान के उद्देश्य से प्रतीत होता है।

58. कर देयता के आकलन के तरीकों की बात करें तो अधिनियम अधिनियमों के तहत करों के आकलन और भुगतान के लिए पहले तरीके के रूप में 'स्व-मूल्यांकन' का प्रावधान करते हैं। यह सीधे तौर पर विवरणी प्रस्तुत करने से जुड़ा हुआ है। इसलिए, यह रिटर्न आधारित है यानी 'अवधि' से जुड़ा हुआ है, चाहे वह एक महीना, तिमाही या वित्तीय वर्ष हो। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 59 के तहत, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति अपनी कर देयता का स्व-मूल्यांकन करने और उस कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, अर्थात्, महीने या उसके कुछ हिस्से और वित्तीय वर्ष, और तिमाही, यदि आवश्यक हो। यदि ऐसा व्यक्ति वस्तुओं अथवा सेवाओं या दोनों



का मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ हो अथवा उन पर लागू कर की दर निर्धारित करने में असमर्थ हो, तो अधिनियम की धारा 60 के प्रावधानों के अंतर्गत, उसके अनुरोध पर उसे 'अनंतिम निर्धारण' के अधीन किया जा सकता है। तत्पश्चात्, अधिनियम की धारा 60(3) के अनुसार उस अनंतिम निर्धारण के उपरांत 'अंतिम निर्धारण' किया जा सकता है।

59. इसके बाद, अधिनियमों की धारा 61 के तहत, विधायिका ने अधिनियमों के अध्याय XII के तहत एक अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से रिटर्न की जांच के लिए प्रावधान किया है। इसके तहत, उचित अधिकारी रिटर्न की शुद्धता को सत्यापित करने और विसंगतियों, यदि कोई हो, की जांच करने के लिए रिटर्न की जांच कर सकता है। जिन कमियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उन पर अधिनियम की धारा 73 और 74 के तहत कार्यवाही हो सकती है।

60. अधिनियम उन पंजीकृत व्यक्तियों के खिलाफ 'सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन' प्रक्रिया का भी प्रावधान करते हैं जो अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं। इसी तरह, अधिनियमों की धारा 63 के तहत, पंजीकरण प्राप्त करने में विफलता (जहां अधिनियमों के तहत आवश्यक हो), ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन प्रक्रिया को भी आमंत्रित कर सकती है।

61. अंत में, अधिनियमों की धारा 64 के तहत, एक सारांश मूल्यांकन पर विचार किया जाता है। हालांकि, इसका सहारा केवल उचित अधिकारी के हाथों में आने वाली कुछ जानकारी या साक्ष्य की सीमित परिस्थितियों में लिया जा सकता है, जो अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसी प्रक्रिया को अपना सकते हैं, विशुद्ध रूप से राजस्व के हित में, यदि ऐसे अधिकारी का मानना है कि ऐसी प्रक्रिया को अपनाने में कोई देरी राजस्व के हितों को प्रभावित करेगी।

62. हमारे लिए, अधिनियमों की योजना का यह हिस्सा अलग-अलग 'अवधियों' के लिए रिटर्न दाखिल करने के दायित्व पर आधारित है और इसलिए, इस तरह की कार्यवाही और प्रक्रियाओं में 'मूल्यांकन' के माध्यम से कर देयता का मूल्यांकन-इकाई आधारित निर्धारण शामिल है, चाहे 'स्व-मूल्यांकन' या 'अनंतिम मूल्यांकन' या 'सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन' के माध्यम से या तो रिटर्न दाखिल न करने वालों के खिलाफ या अपंजीकृत व्यक्तियों के खिलाफ या कुछ परिस्थितियों में 'सारांश मूल्यांकन'। मुख्य रूप से, उस संदर्भ में वित्त वर्ष या उसका हिस्सा, मूल्यांकन की इकाई



है। इसलिए, यह अवधारणा प्रासंगिक है और बिना किसी अपवाद के उन परिस्थितियों में लागू की जा सकती है।

63. इस प्रकार, अधिनियमों के अध्याय XII के तहत आने वाले 'मूल्यांकन' से संबंधित प्रावधानों में, उनकी योजना स्पष्ट रूप से कर 'अवधि' के लिए रिटर्न-आधारित मूल्यांकन या मूल्यांकन की अवधारणा बनाती है। यह मूल्यांकन-इकाई की अवधारणा की ओर ले जाता है चाहे वह एक महीने या तिमाही या एक वित्त वर्ष हो। इस हद तक, इस तरह का मूल्यांकन कर की विवरणी दाखिल करने के लिए पहले से मौजूद दायित्व के आधार पर या उसके आधार पर किया जा सकता है, मूल्यांकन की इकाई एक वित्त वर्ष रह सकती है जिसके लिए 'वार्षिक रिटर्न' दाखिल किया जा सकता है या दाखिल करना अनिवार्य था। इसलिए, अधिनियमों के अध्याय XII के तहत मूल्यांकन के उद्देश्य से, एक वित्त वर्ष या उसके भागों, यानी महीने, तिमाही और वित्त वर्ष मूल्यांकन इकाइयों का गठन कर सकते हैं, जिन पर कर देयता निर्धारित करने की प्रक्रिया लागू की जा सकती है।

64. यह भी उतना ही सच है कि लेखा परीक्षा के संबंध में, अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों के नियम 101 सपठित अधिनियमों की धारा 65 के तहत आने वाले लेखापरीक्षा के संबंध में, वित्त वर्ष से परे अवधि की बहुलता विशेष रूप से सक्षम नियम द्वारा अभिप्रेत है। इसमें "उसके गुणक" शब्दों का उपयोग किया गया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ऑडिट कई 'अवधियों' के लिए उत्पन्न हो सकता है, जो वित्त वर्ष की टर्मिनल सीमाओं को पार कर सकता है। हालांकि, ऑडिट कर देयता के आकलन या निर्धारण के प्रावधानों में सहायता करने के लिए एक प्रावधान है, लेकिन कर देयता को निर्धारित करने या मांग करने के लिए नहीं। साथ ही, यह कर देयता के आकलन या निर्धारण के प्रावधानों का एक आवश्यक हिस्सा नहीं है।

65. इसलिए, इसकी जांच की आवश्यकता है, चाहे ऐसे शब्दों के बहिष्करण से या अधिनियमों की धारा 73 और 74 के तहत समान या समान वाक्यांशों का उपयोग न करके, विधायिका ने अन्यथा इरादा किया है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियमों की योजना दो भागों में है, पहला मूल्यांकन के संबंध में जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है और दूसरा कर या जुर्माना, कम भुगतान या कम लगाए गए या गलत तरीके से भुगतान किए गए या गलत तरीके से आई.टी.सी. का लाभ उठाने आदि की मांग के संबंध में।

66. जबकि मूल्यांकन प्रक्रिया पहले से मौजूद बिक्री कर कानूनों के लिए अपनी विरासत का पता लगाती है, चाहे बिक्री कर या प्रवेश कर कानूनों के तहत और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मूल्यांकन प्रक्रियाओं के लिए तुलनीय है, अधिनियमों की धारा 73 और 74 मुख्य रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कानूनों के लिए उनकी विरासत का पता लगाती है। इन्हें लोकप्रिय रूप से अधिनिर्णय कार्यवाही के रूप में जाना जाता है।

67. इस प्रकार, एक मूल्यांकन मुख्य रूप से एक वित्त वर्ष या उसके हिस्से के लिए संदर्भित किसी भी कर अवधि के लिए दायर रिटर्न की शुद्धता और पूर्णता का परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, न्यायनिर्णयन प्रावधान अलग हैं। वे पूरी तरह से अलग पायदान पर खड़े हैं और उन्हें प्रासंगिक प्रावधानों की अपनी भाषा के संदर्भ में पढ़ा और समझा जाना चाहिए।

68. इसे ध्यान में रखते हुए, धारा 73 और 74 अध्याय XIII (लेखा परीक्षा से संबंधित) और अध्याय XIV (निरीक्षण, खोज, जब्ती और गिरफ्तारी से संबंधित) के बाद दिखाई देती है। वे वसूली की मांग से संबंधित अध्याय XV का हिस्सा हैं। फिर भी, वे जानबूझकर किसी भी शब्द, वाक्यांश या वाक्य से शुरू नहीं करते हैं जो दर्शाता है कि वे किसी विशिष्ट कर अवधि के लिए कर देयता के आकलन के अधीन हैं।

69. ततस्य विपरीत, वे निर्दिष्ट कर राशि, या जुर्माना है जिसका कि भुगतान नहीं किया गया हो सकता है के संबंध में एक विवाद का उल्लेख करते हैं, या कम भुगतान किया गया हो सकता है या गलती से वापस कर दिया गया हो सकता है या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लाभ उठाया गया है या किसी भी कारण के लिए उपयोग किया गया हो सकता है। 'जहां यह प्रकट होता है' शब्दों का उपयोग कि 'कोई कर नहीं किया गया है...' अधिनियमों की धारा 73(1) और 74(1) के बाद के भाग में निर्दिष्ट प्रकृति के विवाद की पहचान करने के लिए उचित अधिकारी को सक्षम बनाता है।

70. उस संदर्भ में, धारा 73 और 74 की उप-धारा (1) प्रदान करती है कि उचित अधिकारी 'नोटिस देगा' - भुगतान नहीं किए गए कर की निर्दिष्ट राशि के संबंध में, कर कम भुगतान या कर, गलत तरीके से वापस कर दिया गया या गलत तरीके से लाभ उठाया गया हो सकता है या गलत तरीके से उपयोग किया गया हो सकता है। उस विवाद के संबंध में, नोटिस प्राप्तकर्ता को 'कारण बताओ' की आवश्यकता है कि उन्हें ब्याज और जुर्माने के साथ कर की विवादित राशि का भुगतान करने की आवश्यकता क्यों नहीं हो सकती है।



71. विधायिका द्वारा विचार की गई उस कार्यवाही की प्रकृति से, विधायिका ने इसे 'अवधि' या 'कर अवधि' या एक वित्त वर्ष की सीमा के भीतर कंडीशनिंग करने से बचा है। इसलिए, अधिनियमों की धारा 73 और 74 के आवेदन को एकवचन 'कर अवधि' तक सीमित करने का कोई वारंट नहीं है, जो ऐसी कर अवधि के लिए रिटर्न दाखिल करने के दायित्व से उभर रहा है। आगे ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका ने जानबूझकर आकलन से संबंधित अधिनियमों के अध्याय XII के तहत इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से परहेज किया है, चाहे वह रिटर्न के आधार पर हो या सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन के आधार पर हो और चाहे अनंतिम या सारांश। तत्स्य विपरीत, विधायी इरादा कर, जुर्माना आदि की निर्दिष्ट राशि की मांग करना है, जो किसी लेनदेन या लेनदेन की प्रकृति आदि पर देयता के रूप में विवाद से उत्पन्न होता है।

72. इस प्रकार, विधायी योजना है - जहां रिटर्न या रिटर्न दाखिल करने के दायित्व किसी भी 'कर अवधि' के लिए मौजूद हैं और उनकी शुद्धता या पूर्णता के रूप में संदेह उभरते हैं, यह मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाने और उस 'कर अवधि' के लिए रिटर्न-आधारित मूल्यांकन करने के लिए उचित अधिकारी के लिए खुला है। उस कार्यवाही की प्रकृति के अनुसार, यह 'मूल्यांकन की इकाई' तक ही सीमित होगी, जिसके लिए वह कार्यवाही तैयार की जाती है, जिसे ऐसी मूल्यांकन इकाई यानी महीने, तिमाही या वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल करने के दायित्व से जोड़ा जाता है।

73. हालांकि, जब कोई विवाद उत्पन्न होता है - अधिनियमों की धारा 73 (1) और 74(1) के तहत विचार की गई प्रकृति का, रिटर्न दाखिल करने का दायित्व और कर अवधि जिसके लिए ऐसे रिटर्न दाखिल किए जाने हैं, नोटिस की विषय वस्तु के उद्देश्य के लिए महत्व खो देते हैं। मांग (i) कर, या जुर्माना कम लगाया गया या कम भुगतान किया जा सकता है; (ii) गलत तरीके से दिया गया रिफंड या (iii) गलत तरीके से दिया गया आई.टी.सी. या लाभ उठाया या उपयोग किया गया। इसलिए, हम तर्क देते हैं, अधिनियमों की धारा 73 और 74 के तहत विवाद का निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए, रिटर्न-आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया बाहरी है। ऐसी मांगों के संबंध में कानूनी नुस्खे न तो पेश किए जा सकते हैं और न ही कृत्रिम कानूनी तर्क के बल पर अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि वे विधायिका द्वारा नियोजित सादे भाषा से उत्पन्न नहीं होते हैं। बल्कि, वे प्रावधान 'निर्दिष्ट कर राशि' के विवाद को संदर्भित करते हैं जिसे राजस्व वसूलना चाहता है।

74. मूल्यांकन प्रक्रियाओं और इसकी अवधारणाओं को पेश करने के लिए, अधिनिर्णय की कार्यवाही न केवल विधायिका द्वारा बनाई गई अधिनिर्णय की अवधारणा के लिए विदेशी होगी, बल्कि यदि



इसके तार्किक अंत तक ले जाया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप समान आकस्मिकताओं से निपटने के लिए प्रक्रियाओं का दोहराव होगा; एक मूल्यांकन के माध्यम से और दूसरा निर्णय के माध्यम से। यह दोहराव या प्रावधानों का अधिशेष प्रथम सिद्धांत परीक्षण पर वांछनीय नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमारी राय है कि मूल्यांकन एक रिटर्न-आधारित प्रक्रिया है, जबकि अधिनिर्णय एक विवाद-आधारित प्रक्रिया है जो निर्दिष्ट कर राशि आदि से जुड़ी होती है। यदि अधिनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के इन दो सेटों के बीच अंतर की रेखा को बनाए रखा जाता है, तो कोई भी विवाद जीवित नहीं रह सकता है।

75. इस संबंध में, हम यह भी ध्यान दे सकते हैं, बिक्री कर कानूनों के तहत क्लासिक रिटर्न-आधारित मूल्यांकन प्रक्रियाओं के तहत, कुछ परिस्थितियों में पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान मौजूद थे, जिसमें टर्नओवर का पलायन शामिल था, आदि। इस अवधारणा को अधिनियमों के अंतर्गत कोई स्थान नहीं मिलता है। उस सीमा तक, अधिनिर्णय प्रक्रिया, विशेष रूप से अधिनियमों की धारा 73 के तहत, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए एक स्पष्ट प्रतिस्थापन है। इस प्रकार, न्यायनिर्णयन प्रक्रिया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर व्यवस्थाओं की प्रक्रियाओं के अनुसार पता लगाया जा सकता है। प्राथमिक अंतर यह है - पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया वित्त वर्ष या निर्धारण वर्ष को मूल्यांकन की एक विशिष्ट इकाई के रूप में मान्यता देती है, जबकि न्यायनिर्णयन प्रक्रिया इसकी अंतिम सीमाओं का उल्लंघन करती है और कर या जुर्माना या धनवापसी का उलटना या आई.टी.सी. का लाभ उठाने आदि की निर्दिष्ट राशि की देयता के संबंध में 'विवाद' को कार्यवाही की विषय वस्तु के रूप में देखती है।

76. उपरोक्त के समर्थन में, हम अधिनियमों की धारा 73(3) और 74(3) में वैधानिक प्रावधानों में और अधिक मान्यता पाते हैं। उचित अधिकारी को एक विवरण जारी करने की अनुमति है जिसमें 'ऐसी (अन्य) अवधियों' के लिए भुगतान नहीं किए गए या कम भुगतान किए गए कर का विवरण शामिल है, जिसे अधिनियमों की धारा 73(1) और/या 74(1) के तहत नोटिस जारी नहीं किया गया हो सकता है। धारा 73(4) और 74(4) के आधार पर, उचित अधिकारी को विशेष रूप से एक लंबित अधिनिर्णय के दायरे में शामिल करने में सक्षम बनाया गया है - 'अवधि', जिसमें एक ही विवाद शामिल है, चाहे वह वित्त वर्ष या मूल्यांकन की इकाई हो, जिससे इस तरह की 'अवधि' संबंधित हो सकती है, या जिससे प्रारंभिक नोटिस संबंधित हो सकता है।



77. विधायिका ध्यान से उन वर्गों के तहत 'कर अवधि' शब्द के उपयोग से बचा है के रूप में वित्त वर्ष के एक और संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है जो वे संबंधित हो सकता है. भले ही, एक सामान्य नियम के माध्यम से, परिभाषा खंड तब तक लागू हो सकता है जब तक कि संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो, यहां कोई अस्पष्टता नहीं है। विधायी इरादा धारा 73(3) और/या 74(3) के तहत उचित अधिकारी द्वारा जारी बयान को एक विशिष्ट 'कर अवधि' से जोड़ना नहीं है। इसके बजाय, यह किसी अन्य 'अवधि' को संदर्भित करता है, जिसमें 'कर अवधि' या मूल्यांकन की इकाई शामिल है जो उस वित्त वर्ष से बाहर हो सकती है जिससे धारा 73(1) या 74(1) के तहत मूल नोटिस संबंधित है।

78. उक्त उप-धारा आगे एक निर्दिष्ट कर राशि आदि के लिए एक 'विवाद' को निपटाने के लिए एक अधिनिर्णय कार्यवाही के दायरे को परिभाषित करती है और मूल्यांकन नहीं करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायिका ने उचित अधिकारी को एक बयान जारी करने की अनुमति देने का विकल्प चुना है और इस प्रकार अन्य 'अवधि' की मांग उठाई है, जो पूरी तरह से इस विचार पर आधारित है कि ऐसी मांग उसी आधार पर हो सकती है जिसके लिए नोटिस जारी किया जा सकता है, या तो धारा 73(1) या 74(1) के तहत, एकमात्र अंतर यह है कि धारा 74(3) के प्रयोजनों के लिए, उनका कारण उन अन्य 'अवधि/अवधि' के लिए समान होने चाहिए, और इसे धोखाधड़ी आदि के मामलों में नहीं बढ़ाया जा सकता है।

79. धारा 73(10) [73(3) के साथ पढ़ें] और धारा 74(10) [74(3) के साथ पढ़ें] के आधार पर विवाद पर आते हुए, वे प्रावधान नोटिस की विषय वस्तु को नियंत्रित नहीं करते हैं। बल्कि, वे प्रावधान केवल निर्णय कार्यवाही शुरू करने और समाप्त करने के लिए समय सीमा को संदर्भित करते हैं। वे 'वार्षिक विवरणी' प्रस्तुत करने की नियत तारीख से क्रमश तीन वर्ष या पांच वर्ष की स्पष्ट, पूर्वनिर्धारित समय-सीमा निर्धारित करते हैं। केवल तथ्य यह है कि विधायिका ने इस तरह की सीमा निर्धारित करने के लिए धारा 73 और 74 की उप-धारा (10) के तहत 'वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि' वाक्यांश का उपयोग करने का विकल्प चुना है, यह हमारे लिए सराहना नहीं करता है कि इसलिए उन धाराओं के तहत शुरू की गई कार्यवाही केवल व्यक्तिगत 'कर अवधि' से संबंधित हो सकती है या संदर्भित हो सकती है जिसके लिए वार्षिक या अन्य रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।

80. विधायी ज्ञान को विधायिका के इरादे से समझा जाना है जैसा कि इसके द्वारा उपयोग किए गए विशिष्ट शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। इस हद तक, विधायिका ने कार्यवाही के दायरे के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है; उनकी दीक्षा और आचरण का तरीका, और धारा 73 और 74 के विभिन्न उप-खंडों के माध्यम से उनकी समय सीमाएं, हम धारा 73(1), (2), (3) और (4) या 74(1), (2), (3) और (4) में प्रयुक्त भाषा के बीच कोई विरोधाभास नहीं पाते हैं। जबकि धारा 73(1) और 74(1) उन कार्यवाहियों के दायरे/विषय वस्तु के लिए प्रावधान हैं, धारा 73(2) को 73(10) और 74(2) के साथ 74(10) के साथ पढ़ा जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि नोटिस जारी किए जाएं और कार्यवाही उन प्रावधानों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर संपन्न हो। धारा 73(3) सपठित धारा 73(4) और धारा 74(3) और 74(4), उचित अधिकारी द्वारा आगे के बयान जारी करने के प्रावधान हैं जो स्वाभाविक रूप से उन्हीं तथ्यों पर उत्पन्न होने वाले निर्दिष्ट कर विवाद आदि में वृद्धि का कारण बनते हैं, जिन पर एक साथ निर्णय लिया जा सकता है। ये प्रावधान राजस्व के लाभ के लिए मौजूद हैं, न कि निर्धारिती के लिए। वे विवाद की पूर्व-निर्दिष्ट विषय वस्तु को बढ़ाते हैं, इसके लिए सीमा का विस्तार किए बिना।

81. धोखाधड़ी आदि के मामलों को छोड़कर [धारा 74(4) के तहत आने वाले], विधायिका का इरादा यह नहीं था कि न्यायनिर्णयन कार्यवाही के दायरे को एक ही कर अवधि या एक वित्तीय वर्ष के भीतर आने वाली कई कर अवधि तक सीमित या सीमित किया जाए। यह इरादा अनुपस्थित होने के कारण, हम कुछ अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए विपरीत दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। विनम्रता के साथ, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि हम खुद को अन्य उच्च न्यायालयों (स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर), मुख्य रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के तर्क से पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं। सम्मानपूर्वक, हम अधिनियमों की योजना की हमारी व्याख्या के आधार पर इस बिंदु को आकर्षित करते हैं, जो दोहरे तंत्र का प्रावधान करते हैं - एक रिटर्न-आधारित मूल्यांकन जो 'कर अवधि' के लिए संदर्भित है और दूसरा कर, दंड या आई.टी.सी. से संबंधित पूर्व-निर्दिष्ट राशि-आधारित विवाद के लिए अधिनिर्णय आधारित है।

82. धारा 73 (1) और 74(1) में कर अवधि को वित्तीय वर्ष से परे नहीं पढ़ने के लिए, धारा 73 (1) और 74(1) के दायरे में एक कृत्रिम प्रतिबंध लागू करना होगा, विधायी भाषा की ताकत पर नहीं, बल्कि कल्पित प्रतिबंध के आधार पर। तत्स्य विपरीत, अधिनिर्णय प्रक्रिया में निर्दिष्ट कर, जुर्माना, रिफंड और आई.टी.सी. राशि से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने पर विचार किया गया



है। विधायिका ने विशेष रूप से उचित अधिकारी को धारा 73(1)/74(1) के तहत नोटिस जारी करने के अलावा, नोटिस में निर्दिष्ट अवधि से परे अन्य अवधियों के संबंध में और बयान जारी करने के लिए अधिकृत किया है। एक बार यह विशिष्ट प्रावधान हो जाने के बाद, न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों की अवधारणा को मूल्यांकन/वित्त वर्ष की इकाई तक सीमित रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा करने के लिए अधिनियमों की धारा 73 (3)/74(3) और 73 (4) / 74(4) की सरल भाषा में हिंसा करना होगा। कानून की व्याख्या के मामलों में लागू किया जाने वाला मानक नियम यह है कि विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक शब्द को उसका पूर्ण और प्राकृतिक अर्थ दिया जाना चाहिए जब तक कि कोई संघर्ष उत्पन्न न हो, हमें धारा 73(3)/74(3) और 73(4)/74(4) के दायरे को प्रतिबंधित करने का कोई अवसर नहीं मिलता है, न्यायनिर्णयन कार्यवाही के लिए मूल्यांकन/वित्त वर्ष की इकाई की एक विदेशी अवधारणा को पेश करके।

83. जहां तक कैलटेक्स (इंडिया) लिमिटेड (उपरोक्त) में चर्चा की गई अवधारणा का संबंध है, यह आयकर अधिनियम और बिक्री कर अधिनियम के तहत उत्पन्न हुआ, जिसमें निर्णय प्रक्रियाओं के बजाय केवल मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर विचार किया गया था। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, और दोहराव के बिना, हम पाते हैं कि उक्त निर्णय पूरी तरह से अलग है। आकलन रिटर्न-आधारित रहेगा और इसलिए अधिनियम के तहत भी केवल व्यक्तिगत 'कर अवधि' के लिए संदर्भित किया जा सकता है। हालाँकि, निर्णयों के लिए विपरीत सच है।

84. लागू की गई सख्त व्याख्या के नियम के रूप में, हमें याद दिलाया जा सकता है कि यह नियम कर लगाने वाले कानून के प्रावधानों या शुल्क लगाने के प्रावधानों पर लागू होता है, न कि इसके मशीनरी प्रावधानों पर। **सीआईटी बनाम महालीराम रामजीदास, ए.आई.आर. (1940) पीसी 1224** में, प्रिवी काउंसिल ने कहा:

"यह धारा, हालांकि यह एक कर अधिनियम का हिस्सा है, इस विषय पर कोई शुल्क नहीं लगाती है, और केवल मूल्यांकन की मशीनरी से संबंधित है। इस तरह के प्रावधानों की व्याख्या करते समय नियम यह है कि उस निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो मशीनरी को काम करने योग्य बनाता है।"

85. फिर, उस नियम को लागू करते हुए, **इंडिया यूनाइटेड मिल्स बनाम कमिशनर ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट टैक्स, (1955) एस.सी.आर 810** में, उच्चतम न्यायालय ने उस नियम को अपनाया और नीचे के रूप में देखा:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"उस धारा पर जोर दिया जाना चाहिए, एक चार्जिंग सेक्शन नहीं, बल्कि एक मशीनरी और एक मशीनरी सेक्शन को इस तरह से समझा जाना चाहिए कि चार्जिंग सेक्शन को प्रभावी किया जा सके।

86. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) में व्याख्या के उस नियम पर चर्चा की गई थी और चार्जिंग सेक्शन के संदर्भ में लागू किया गया था। यह निर्धारित किया गया था, किसी विषय पर कर लगाने से पहले यह दिखाया जाना चाहिए कि यह विधायिका द्वारा उस आशय के शब्दों के स्पष्ट उपयोग द्वारा चार्जिंग सेक्शन के दायरे में आता है। उस संबंध में अस्पष्टता के परिणामस्वरूप विषय को हमेशा संदेह का लाभ हो सकता है। यहां जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चार्जिंग सेक्शन अधिनियम की धारा 9 है। उस चार्जिंग सेक्शन की व्याख्या के बारे में कोई विवाद नहीं है। इसलिए, अधिनियमों की धारा 73 और 74 की भाषा की व्याख्या करने के लिए लागू किए गए कर कानूनों की सख्त व्याख्या का वह नियम, जो धारा नहीं वसूल रहा है, बल्कि कर, जुर्माना, वापसी (गलत तरीके से दी गई) और आई.टी.सी. (गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किया गया) की मांग से संबंधित धाराएं लागू नहीं हैं।

87. जहां तक कई नोटिसों को जारी किए जा रहे समग्र नोटिस पर और आपत्ति उठाई गई है, अधिनिर्णय कार्यवाही कर का भुगतान न करने या कम भुगतान, गलत वापसी या गलत तरीके से लाभ उठाने या आई.टी.सी. के उपयोग के संबंध में पूर्व-पहचाने गए और मात्रात्मक विवादों के संदर्भ में है। कई नोटिसों के आधार पर कार्यवाही को चुनौती (याचिकाओं के इस बैच में), अधिनियमों की धारा 74 के तहत उत्पन्न होने वाली न्यायिक कार्यवाही में उत्पन्न हुई है, न कि अधिनियमों की धारा 73 के तहत। जैसा कि ऊपर निकाला गया है, अधिनियमों की धारा 74(12) के प्रावधान विशिष्ट हैं। स्पष्ट रूप से, वे एक नोटिस में कई नोटिस शामिल करने की अनुमति देते हैं। विधायिका द्वारा किए गए उस विशिष्ट समावेशन पर, तत्स्य विपरीत प्रस्तुत करने का कोई महत्व नहीं है। यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि अधिनियमों की धारा 74(12) की वैधता को कोई चुनौती नहीं है। एक बार जब विधायिका स्पष्ट रूप से विवादित मात्रात्मक मांग के संबंध में एक नोटिस जारी करने पर विचार करती है, तो उस प्रस्तुति पर विचार करने के लिए कोई जगह नहीं बचती है।

88. जहां कहीं भी यह विवाद हो सकता है कि कई नोटिसों को गलत तरीके से एक साथ जोड़ा गया है, वह मुद्दा स्वभाव से, तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न बना रहेगा। किसी भी ठोस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निष्कर्ष को निकालने से पहले साक्ष्य का नेतृत्व करना होगा, अर्थात् क्या विवाद ऐसा है जिसमें एक से अधिक नोटिस शामिल हो सकते हैं। इसकी सामान्य रूप से वैधानिक कार्यवाही के दौरान जांच की जा सकती है।

89. इसलिए, जबकि हम सिद्धांत पर यह स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं कि अधिनियमों की धारा 74 के तहत एक समग्र नोटिस कभी भी जारी नहीं किया जा सकता है, हम व्यक्तिगत नोटिसों को जारी किए गए व्यक्तिगत नोटिसों की वैधता के प्रश्न को व्यक्तिगत न्यायिक कार्यवाही में जांच करने के लिए खुला छोड़ देते हैं, जो उचित आपत्तियों के अधीन है। इस प्रकार, यदि कोई नोटिस देने वाला यह आपत्ति करता है कि वह एक विवादित लेनदेन के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो न्यायनिर्णयन कार्यवाही को जन्म देता है या उसे गलत तरीके से नोटिस के रूप में शामिल किया गया है, तो यह उस मामले में आपत्ति को जन्म दे सकता है। एक बार उठाई गई उस आपत्ति पर विचार करना होगा और आपत्ति के आधार पर निर्णायक प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेना होगा।

90. इसके अलावा, हमें धनंजय रेड्डी (उपरोक्त) या सीआईटी, मुंबई (उपरोक्त) या मेहसाणा जिला केंद्रीय सहकारी (उपरोक्त) को लागू करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। इस हद तक, हमारे अनुसार न्यायनिर्णयन की कार्यवाही किसी भी कर अवधि के लिए दाखिल किए गए रिटर्न के प्रसंस्करण के माध्यम से उत्पन्न नहीं होती है और जिस हद तक अधिनियमों की धारा 73 और 74 में उस वाक्यांश का उपयोग नहीं किया गया है, उस सीमा तक न्यायनिर्णयन कार्यवाही को कर अवधि से जोड़ने के लिए कानून में कोई नुस्खा नहीं है। इसलिए, जिस सिद्धांत का आह्वान किया जा रहा है वह लागू नहीं होता है। काल्पनिक रूप से, उस सिद्धांत को लागू किया जा सकता है यदि अधिनियमों के अध्याय XXII के तहत आने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान, एक उचित अधिकारी मूल्यांकन/वित्त वर्ष की इकाई से परे मूल्यांकन करना चाहता है, जिसके लिए इस तरह की कवायद की जाती है, या तो दायर की गई रिटर्न के संदर्भ में या दायर नहीं की गई है, कर अवधि के लिए।

91. ऐसे कारणों से, हमें कोटा (उपरोक्त) और गुजरात राज्य बनाम आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील (इंडिया) लिमिटेड (उपरोक्त) के महाराव भीम सिंह के अनुपात को लागू करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है।



92. अधिनियमों की धारा 6(2)(बी) के अन्य मुद्दों पर आते हुए, हम पाते हैं कि यह मुद्दा अब पुनः एकीकृत नहीं है। पहले जीके ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त) के मामले में और अब आर्मर सिक्योरिटी (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय की घोषणा के बाद यह मुद्दा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतिम और दृढ़ता से तय किया गया है। ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि जीके ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त) में यह नीचे के रूप में देखा गया था:

"19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं:

(i).....

(ii) अधिनियम की धारा 6(2)(b) में प्रयुक्त समान "विषय-वस्तु" पर "कोई भी कार्यवाही" शब्द, जो उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है; इसका अर्थ है कार्रवाई के एक ही कारण पर और उसी विवाद के लिए कुछ न्यायनिर्णयन कार्यवाही जिसमें मूल्यांकन कार्यवाही, दंड के लिए कार्यवाही, आदि, धारा 73 और 74 के तहत मांगों और वसूली के लिए कार्यवाही आदि शामिल हो सकते हैं।

93. यदि कोई संदेह बच गया है, तो इस मुद्दे को उच्चतम न्यायालय द्वारा कवच सुरक्षा (उपरोक्त) में विस्तार से निपटाया गया है। वहां, यह नीचे देखा गया है:

97. हम अपने अंतिम निष्कर्ष को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:

(i) सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) का खंड (बी) और समकक्ष राज्य अधिनियम 'एक ही विषय-वस्तु' पर 'किसी भी कार्यवाही की शुरुआत' पर रोक लगाते हैं।

(ii) खातों की लेखा परीक्षा या विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा से उत्पन्न होने वाली कोई भी कार्रवाई उस कर प्रशासन द्वारा शुरू की जानी चाहिए जिसे करदाता को सौंपा गया है।

(iii) करदाता को अन्य प्रशासन को सौंपे जाने के बावजूद केन्द्र अथवा राज्य कर प्रशासनों में से किसी एक द्वारा आसूचना आधारित प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

(iv) अन्य कर प्रशासन द्वारा समानांतर कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए जब कर प्रशासनों में से एक ने पहले ही आसूचना आधारित प्रवर्तन कार्रवाई शुरू कर दी हो।



(v) किसी जांच की जांच या साक्ष्य या जानकारी एकत्र करने के उपाय के रूप में शुरू की गई सभी कार्यवाहियां सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6(2)(बी) के अर्थ के भीतर 'कार्यवाही' का गठन नहीं करती हैं।

(vi) धारा 6(2)(b) में होने वाली अभिव्यक्ति 'किसी भी कार्यवाही की शुरुआत' कारण बताओ नोटिस जारी करने के माध्यम से न्यायिक कार्यवाही की औपचारिक शुरुआत को संदर्भित करती है, और इसमें समन जारी करना, या किसी भी तलाशी या जब्ती आदि का संचालन शामिल नहीं है।

(vii) विषय-वस्तु अभिव्यक्ति किसी विशेष उल्लंघन से उत्पन्न किसी कर देयता, कमी या दायित्व को संदर्भित करती है जिसका विभाग आकलन या वसूली करना चाहता है।

(viii) जहां विभाग द्वारा शुरू की गई कोई भी दो कार्यवाही किसी विशेष उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली कर देयता, कमी या दायित्व में एक समान या आंशिक ओवरलैप का आकलन या पुनर्प्राप्ति करना चाहती है, वहां धारा 6(2)(बी) की रोक तुरंत आकर्षित होगी।

(ix) जहां कार्यवाही अलग-अलग उल्लंघनों से संबंधित है, वह 'समान विषय-वस्तु' का गठन नहीं करेगा, भले ही कर देयता, कमी, या दायित्व समान या समान हो, और धारा 6(2)(बी) के तहत बार आकर्षित नहीं होगा।

(x) यह निर्धारित करने के लिए दोहरा परीक्षण कि क्या कोई विषय-वस्तु समान है, पहला, यह निर्धारित करना कि क्या कोई प्राधिकरण पहले से ही समान तथ्यों पर निर्धारिती द्वारा कर या कथित अपराध के समान दायित्व पर आगे बढ़ चुका है, और दूसरा, यदि मांगी गई मांग या राहत समान है।

98. हम उन मामलों में पालन किए जाने वाले निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करते हैं, जहां एक प्राधिकरण द्वारा जांच या अन्वेषण शुरू होने के बाद, एक ही विषय-वस्तु पर एक और जांच या अन्वेषण एक अलग प्राधिकरण द्वारा शुरू की जाती है।

(क) जहां केन्द्रीय अथवा राज्य कर प्राधिकरण द्वारा किसी निर्धारिती को सम्मन अथवा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, वहां निर्धारिती, प्रथम दृष्टया उपस्थित होकर अपेक्षित प्रतिक्रिया प्रस्तुत करके अनुपालन करने के लिए बाध्य होता है, जैसा भी मामला हो। हम ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि केवल समन जारी करने से न तो जारी करने



वाले प्राधिकारी या प्राप्तकर्ता को यह पता लगाने में सक्षम बनाया जा सके कि कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(बी) जहां एक निर्धारिती को पता चलता है कि जिस मामले की जांच की जा रही है या जांच की जा रही है, वह पहले से ही किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जांच या अन्वेषण का विषय है, निर्धारिती तुरंत, लिखित रूप में, उस प्राधिकरण को सूचित करेगा जिसने बाद की जांच या अन्वेषण शुरू की है।

(ग) निर्धारिती से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, संबंधित कर अधिकारी निर्धारिती के दावे की सत्यता को सत्यापित करने के लिए एक दूसरे के साथ संवाद करेंगे। हम कहते हैं, इसलिए कार्रवाई का यह तरीका कार्यवाही के अनावश्यक दोहराव को समाप्त करेगा और विभाग के समय, प्रयास और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करेगा, यह ध्यान में रखते हुए कि एक प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई कार्रवाई सभी के लाभ के लिए आवश्यक है।

(घ) यदि पूछताछ के अतिव्यापन के संबंध में कर योग्य व्यक्ति का दावा असमर्थनीय पाया जाता है, और दोनों प्राधिकारियों की जांच अलग-अलग 'विषय-मामलों' से संबंधित है, तो इस आशय की सूचना, कारणों और अलग-अलग विषय-मामलों के विनिर्देश के साथ, कर योग्य व्यक्ति को तुरंत लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(ङ) कर लगाने वाले प्राधिकारी जांच या अन्वेषण करने के अपने अधिकार के भीतर हैं जब तक कि यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि दोनों प्राधिकारी निर्वहन किए जाने वाले समान दायित्व, उसी उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, या कारण बताओ नोटिस जारी करने की जांच कर रहे हैं। मौजूदा कारण बताओ नोटिस के तहत पहले से ही आच्छादित किए गए दायित्व के संबंध में जारी किए गए किसी भी कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया जाएगा।

(च) तथापि, यदि केन्द्रीय या राज्य कर प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, यह पाता है कि उसके द्वारा की जा रही या जांच की जा रही घटना पहले से ही किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जांच या अन्वेषण का विषय है, तो दोनों प्राधिकारी इस संबंध में निर्णय लेंगे कि उनमें से कौन जांच या अन्वेषण जारी रखेगा। ऐसे परिदृश्य में अन्य प्राधिकरण मामले



में अपनी जांच या अन्वेषण से संबंधित सभी सामग्री और जानकारी को जांच या अन्वेषण को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए नामित प्राधिकारी को विधिवत अग्रोषित करेगा। हम ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि कर योग्य व्यक्ति को कार्यवाही के दोहराव से वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के अलावा, अन्यथा यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि किस प्राधिकारी को किसी विशेष मामले में जांच या अन्वेषण के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

(छ) तथापि, जहां प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हैं कि उनमें से कौन जांच या अन्वेषण जारी रखेगा, तो ऐसी परिस्थितियों में, जिस प्राधिकारी ने पहले जांच या अन्वेषण शुरू की थी, उसे इसे इसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने का अधिकार होगा, और ऐसे मामले में न्यायालय जांच या अन्वेषण को उस प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के लिए आदेश पारित करने के लिए सक्षम होंगे।

(ज) यदि यह पाया जाता है कि प्राधिकारी इन उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो कर योग्य व्यक्ति के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने का अधिकार होगा।

(i) साथ ही, कर योग्य व्यक्ति अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करेंगे। यह उन पर निर्भर है कि वे समन के जवाब में उपस्थित हों और/या नोटिस का जवाब दें।

94. धारा 73 और 74 के तहत नोटिस जारी करने के लिए परिसीमा के तीसरे मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 73(10) और 74(10) के प्रावधान में कोई संदेह नहीं है कि वित्त वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख के संदर्भ में एक न्यायनिर्णयन आदेश पारित करने की सीमा तय की गई है, जिससे विवाद संबंधित हो सकता है। इस प्रकार, यदि निर्णय लेने की मांग की गई विवाद तीन अलग-अलग वित्तीय वर्षों में आने वाली 'कर अवधि' से संबंधित है या आती है, तो एक समग्र आदेश देने की सीमा की अवधि शीघ्र/पहले वित्त वर्ष (जिससे कोई 'अवधि' संबंधित हो सकती है) के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से चलना शुरू हो जाएगी, जैसे कि यदि वह तारीख पार हो जाती है, उस वित्त वर्ष के संबंध में न्यायनिर्णयन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि विवाद का पृथक्करण मौजूद है, तो संपूर्ण नोटिस नहीं, 'अवधि'वार है। इस तरह के नोटिस द्वारा शुरू की गई पूरी कार्यवाही को केवल तभी समयबद्ध घोषित किया जा सकता है जब पिछले वित्त वर्ष

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की नियत तारीख से आदेश देने की सीमा (जिसके लिए विवाद को अधिनिर्णय के लिए भेजा जाता है) भी समाप्त हो जाती है। संक्षेप में, इस मुद्दे को व्यक्तिगत तथ्यों के आधार पर निपटाना होगा।

95. धारा 73(10) और 74(10) में 'करेगा' शब्द के उपयोग के अलावा, धारा 75(10) स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि उन प्रावधानों के तहत अधिनिर्णय के अंतिम आदेश को पारित करने का समय कठोर है। समय सीमा के उल्लंघन पर (न्यायनिर्णयन आदेश पारित करने के लिए), स्पष्ट रूप से निर्धारित, धारा 73(10) और 74(10) के प्रावधान और इसलिए धारा 73(2) और 74(2) अनिवार्य रहते हैं और उन्हें कभी भी निर्देशिका के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। उस सीमा को शिथिल करने के लिए कोई सामान्य या विशेष शक्ति नहीं है। उस सीमा तक, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अधिनियमों की धारा 73(10) और 74(10) के तहत परिसीमा की अवधि परिसीमा की एक कठिन/निश्चित अवधि है जो बिल्कुल भी छूट नहीं देती है। यह पूरी तरह से अनिवार्य है।

96. यदि हम सीमाओं में ढील देने के लिए किसी भी जगह को स्वीकार करते हैं, तो यह प्रावधानों की भावना को मौलिक रूप से कमजोर कर देगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि न केवल वे प्रावधान कार्यवाही को समाप्त करने के लिए सीमा प्रदान करते हैं, बल्कि वे कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा का भी प्रावधान करते हैं। इस प्रकार, अधिनियमों की धारा 73(10) सपठित धारा 73(1) के तहत, कर का भुगतान नहीं किए गए या कम भुगतान किए गए या गलती से वापस किए गए या गलत तरीके से आई.टी.सी. का लाभ उठाया या उपयोग किया गया है, से संबंधित विवाद पर निर्णय लेने के लिए निर्णय आदेश पारित करने के लिए सीमा समाप्त होने से पहले तीन महीने की अवधि के भीतर निकाला जा सकता है। कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की कोई अन्य अवधि अनुमेय नहीं है। कार्यवाही शुरू करने के लिए समय में किसी भी छूट में आवश्यक रूप से प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुपालन की अनुमति देने के लिए कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम अवधि में कटौती या कार्यवाही को समाप्त करने के लिए सीमा की अवधि का विस्तार शामिल होगा। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अधिनियमों की भाषा के संदर्भ में न तो अनुमेय है।

97. उस प्रकाश में विचार किया जाता है, कार्यवाही शुरू करने के लिए तीन महीने और छह महीने (आदेश देने के लिए सीमा की समाप्ति के अंत से पहले) की धारा 73(2) और 74(2) में निहित नुस्खे को भी सीमा की कठिन/निश्चित अवधि के रूप में पढ़ा और समझा जाना चाहिए। विचारित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के संदर्भ में और अधिनियमों की धारा 75(4) के तहत कानून के वैधानिक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, ऐसे आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर अनिवार्य है। इसलिए, धारा 73(2) और 74(2) के तहत प्रदान की गई तीन महीने या छह महीने की न्यूनतम अवधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, नोटिस जारी करने के लिए सीमा की ऐसी निश्चित अवधि को स्वीकार करने के लिए अंतर्निहित तर्क है। धारा 73(2) और 74(2) के तहत प्रयुक्त समान भाषा और अधिनियमों की धारा 73(10) और 74(10) के तहत प्रदान किए गए परिणामों के सामने, एक ही संदर्भ में, एक ही कानून में उपयोग किए गए समान शब्दों के लिए कोई अलग व्याख्या का प्रयास नहीं किया जा सकता है। संदेह है कि अधिनियमों की धारा 75(4) में निहित स्पष्ट विधायी इरादे से कोई दूर हो गया है। अधिनियमों द्वारा दिए गए समय के भीतर न्यायनिर्णयन कार्यवाही को समाप्त करने में विफलता, आवश्यक रूप से ऐसी कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा।

98. जहां तक ऑडिट प्रावधानों का संबंध है, हम याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों से प्रभावित नहीं हैं। हालांकि ऑडिट से मूल्यांकन और/या निर्णय भी हो सकता है, लेकिन यह उन कार्यवाहियों का हिस्सा नहीं है। इस प्रकार, विधायिका ने विशिष्ट शब्दों और शब्दों का उपयोग करके, 'कर अवधि' या उसके गुणकों के लिए ऑडिट प्रदान किया है, इस आशय के लिए। विधायिका ने अधिनियमों की धारा 65 के तहत 'ऐसी अवधि' शब्दों का भी उपयोग किया है और इसके प्रतिनिधि, सरकार ने 'इसके गुणक' शब्दों का उपयोग किया है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक ऑडिट को 'कर अवधि' या 'वित्तीय वर्ष' की तुलना में अधिक लंबी अवधि के लिए निर्देशित किया जा सकता है, केवल एक सीमा के साथ कि यह पूर्ण अवधि के लिए होना चाहिए, न कि उसके अंशों के लिए। हालांकि, यह नहीं भूला जा सकता है कि एक ऑडिट प्रावधान एक वित्त वर्ष या 'कर अवधि' के लिए मूल्यांकन की कार्यवाही या कर, जुर्माना या आई.टी.सी. की निर्दिष्ट राशि की मांग के विवाद के निर्णय के लिए अलग और दायरे में अलग रहता है। अधिक से अधिक, ऑडिट सही तथ्यों का पता लगाने के लिए सामान्य शक्ति और पूछताछ और जांच के दायरे का हिस्सा है। एक ऑडिट रिपोर्ट से जो निकलता है वह मूल्यांकन या न्यायनिर्णयन कार्यवाही का एक आवश्यक हिस्सा नहीं है। उस सीमा तक, अधिनियमों की धारा 65 की भाषा को उसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 101 सपठित भाषा और अधिनियमों



के अध्याय XII और अधिनियमों की धारा 73 और 74 के तहत प्रयुक्त भाषा के साथ पढ़ने या तुलना करने का कोई अवसर नहीं है।

99. जहां तक याचिकाकर्ताओं में से एक के अधिवक्ता श्री सुयश अग्रवाल ने एक और निवेदन उठाया है कि एक एस.सी.एन कभी भी दो अलग-अलग प्राधिकरणों द्वारा दो अलग-अलग न्यायिक आदेशों को जन्म नहीं दे सकता है, उन्हें बिना किसी आरक्षण के सही माना जाना चाहिए। यह चीजों की प्रकृति में है कि एक न्यायनिर्णयन आदेश एक न्यायनिर्णयन नोटिस द्वारा शुरू की गई कार्यवाही की परिणति है। वास्तव में, यह आम तौर पर किसी भी वैधानिक नोटिस से उत्पन्न होने वाले वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा पारित सभी आदेशों के बारे में सच है। एक बार एक आदेश पारित हो जाने के बाद, प्राधिकरण को सुधार आदि की सीमा को छोड़कर, जहां अनुमति दी जाती है, कार्य पदेन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, जब तक शासी कानून के अनुसार, किसी अन्य प्राधिकरण को कार्यवाही स्थानांतरित नहीं की जाती है, तब तक एक प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही उस प्राधिकरण द्वारा संचालित और संपन्न की जा सकती है, न कि किसी अन्य द्वारा। अधिनियमों में कार्यवाही के स्वतः हस्तांतरण पर विचार नहीं किया गया है। यहां राजस्व द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है।

100. निकाले गए उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिकाओं को मिश्रित परिणामों को पूरा करना चाहिए। जबकि अधिनियमों की धारा 74 के तहत संयुक्त नोटिस जारी किया जाता है, दोनों अलग-अलग कर अवधि और वित्तीय वर्ष और कई निर्धारिताओं के लिए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ निर्णय लिया जाता है; अधिनियमों की धारा 6(2)(बी) पर आधारित अन्य आपत्ति; एक ही नोटिस से उत्पन्न होने वाले कई आदेश, और परिसीमा प्रावधान के मुद्दे को अनिवार्य होने के कारण, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय लिया जाता है ताकि अधिनिर्णय आदेश देने के लिए सीमा की समाप्ति से छह महीने के भीतर जारी किया गया कोई भी नोटिस समयबद्ध हो। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अलग-अलग वित्तीय स्थिति और कई नोटिसों के लिए समग्र नोटिस जारी करने का फैसला किया जाता है। तदनुसार:

- (i) रिट टैक्स संख्या 7515 वर्ष 2025 और 7500 वर्ष 2025 की अनुमति है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय अधिनियम की धारा 74 के तहत शुरू की गई न्यायनिर्णयन कार्यवाही को चुनौती देने के अलावा, जिस पर अधिनियमों की धारा 6(2)(b) लागू नहीं होती है। उन कार्यवाहियों को कानून के अनुसार आयोजित और संपन्न किया जा सकता है। इसके



अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019-20 तक याचिकाकर्ता संख्या-2 को जारी किया गया नोटिस इस कारण से समय-वर्जित है - निर्णय आदेश देने के लिए सीमा की समाप्ति से छह महीने के भीतर एस.सी.एन जारी किया गया था। इस प्रकार, इन याचिकाओं में शेष कार्यवाही रद्द कर दी जाती है।

(ii) रिट टैक्स संख्या 2454 वर्ष 2025 और 2456 वर्ष 2025 की अनुमति है। एस.सी.एन प्रतिपक्षी संख्या-2, माल और सेवा कर महानिदेशालय, खुफिया, मेरठ द्वारा जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता ने नोटिसों का जवाब दाखिल किया और उक्त प्राधिकरण द्वारा सुना गया, जिसके परिणामस्वरूप 01.02.2025 का आदेश आया। समानांतर रूप से, उसी एस.सी.एन से उत्पन्न होने पर, लखनऊ में प्राधिकरण द्वारा दो अन्य आदेश पारित किए गए। स्पष्ट रूप से, लखनऊ में प्राधिकरण को कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए कोई आदेश नहीं है और उस प्राधिकरण ने न्यायनिर्णयन नोटिस जारी नहीं किया था। इसलिए, एक कारण बताओ नोटिस से उत्पन्न होने वाली न्यायनिर्णयन कार्यवाही के दोहराव के अलावा वे कार्यवाही स्पष्ट रूप से खराब हैं। तदनुसार, प्रतिपक्षी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 23.09.2024 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

(iii) रिट टैक्स संख्या 2247 वर्ष 2025 में, जुलाई 2017 से अप्रैल 2018 तक की अवधि की कार्यवाही भी सी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 6(2)(b) की सीमा से प्रभावित पाई गई है। तदनुसार, उक्त कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।

(iv) रिट टैक्स संख्या 4965 वर्ष 2025 में, जबकि एक ही समय में जारी किए गए समग्र नोटिस को चुनौती देने के आधार के संबंध में कोई राहत नहीं दी जा सकती है, प्रतिपक्षी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा के प्राप्तकर्ता को जारी किया गया निर्देश - याचिकाकर्ता को देय भुगतान को रोकने के लिए, हस्तक्षेप की मांग करता है। राजस्व प्राधिकारियों में बिना किसी मांग के ऐसे निदेश जारी करने की कोई शक्ति के अभाव में, उक्त निदेश अधिनियमों के तहत निहित किसी भी शक्ति का पता लगाने योग्य नहीं पाया गया है। उस सीमा तक, प्रतिपक्षी संख्या-3 को निर्देश जारी किया जाता है कि वह किसी भी वैध गारंश कार्यवाही के अभाव में सेवा प्राप्तकर्ता (याचिकाकर्ता के) को भुगतान रोकने के लिए मजबूर न करे।



(v) रिट टैक्स संख्या 2247 वर्ष 2025 और 4965 वर्ष 2025 को आंशिक रूप से ऊपर उल्लिखित सीमा तक **अनुमति** दी जाती है।

(vi) रिट टैक्स संख्या 2569 वर्ष 2025, 1119 वर्ष 2025, 2795 वर्ष 2025, 2537 वर्ष 2025, 2246 वर्ष 2025, 1000 वर्ष 2025, 2838 वर्ष 2025 और 8725 वर्ष 2025 को **खारिज** किया जाता है।

101. लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

दिनांक: 20.01.2026

अनुराग / मोहित / अभिलाष / प्रखर / प्रतिमा / फ़राज़

(न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

(न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला)